

ऋण करार

यह ऋण करार ("करार") _____ पर _____, 20 की _____ पर _____ बना है

मध्य में

ऋणी, का विवरण विशेष रूप से ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित किया गया है जो इस समझौते के साथ संलग्न है और, जहाँ भी संदर्भ की आवश्यकता हो, उसमें एक सह ऋणी का नाम दिया गया है और सम्मिलित रूप से (यदि वहाँ एक से अधिक ऋणी हैं जिन्हें "ऋणी" कहा गया है जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल, शामिल करने के लिए समझा जाएगा, जहाँ ऋणी एक व्यक्ति है, उसके वारिस हैं, निष्पादक और प्रशासक हैं, जहाँ ऋणी एक एकमात्र औचित्य फर्म हैं, व्यक्ति जिसका नाम एकमात्र मालिक के रूप में प्रकट होता है और उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि और अनुमति प्राप्त लोग शामिल हैं; जहाँ ऋणी एक भागीदारी फर्म है, भागीदार या दी हुई भागीदारी फर्म के भागीदार, उनके उत्तरजीवी और वारिस, भागीदारों के निष्पादक और प्रशासक; जहाँ ऋणी एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है, उस हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य और उनके संबंधित वारिस, निष्पादक और प्रशासक और नियुक्त व्यक्ति; जहाँ ऋणी एक कंपनी है, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति; जहाँ ऋणी गैर संयुक्त निकाय है, ऐसे निकाय के सभी सदस्य और उनके संबंधित उत्तराधिकारी; जहाँ ऋणी एक संस्था है, तो प्रबंध निकाय और प्रबंध निकाय के सदस्यों से संबंधित उत्तराधिकारी और निर्वाचित नए सदस्य को, नियुक्त या सहयोजित, जहाँ ऋणी एक संगठन है, संरक्षक और संगठन के उत्तराधिकारी और जहाँ ऋणी एक लिमिटेड देयता भागीदारी है, तो भागीदार या लिमिटेड देयता भागीदारी, भागीदार और वारिस, भागीदारों के निष्पादक और प्रशासक और फर्म के उत्तराधिकारी और उनके नियुक्त व्यक्ति) एक भाग हैं

और

फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमअल्ली हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई-600095, तमिलनाडु में है, और अन्य बातों के साथ साथ एक शाखा कार्यालय ऋण सारांश अनुसूची में दिया गया है और उल्लेखित अन्य भाग में बाद में "FICCL" (जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके लिए समझा जाएगा जिनमें उत्तराधिकारी और नियुक्त शामिल हैं) कहा जाता है।

जबकि:

- i) ऋणी FICCL को ऋणी को संपत्ति/व्यापार/पेशेवर/निजी आवश्यकता के लिए निर्माण और ऋण सारांश अनुसूची में दिए गए उद्देश्य के लिए अग्रिम में ऋण देने का अनुरोध करता है;
- ii) ऋणी द्वारा दी गई प्रस्तुती और प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर होना, FICCL ऋणी को यहां दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।

FICCL के लिए

ऋणी

सह-ऋणी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अब यह समझौता साक्षी है और यह एतद्वारा सहमत और घोषित किया जाता है::

अनुच्छेद 1

परिभाषा

"करार" का मतलब है ऋण करार, ऋण सारांश अनुसूचियां, यहाँ संलग्न और कोई भी पूरक अनुसूचियां, चुकौती अनुसूचि, अभी संलग्न अनुबंध- या संलग्न अनुबंध जो इस करार भाग के रूप में अब या बाद में जुड़ता है, जिस में समय समय पर कोई भी अन्य अनुबंध, प्रमाण या अन्य अनुशेष अब या बाद में इस समझौते में जोड़े जाते हैं।

"आवेदन" का मतलब है ऋण आवेदन जिसके साथ ऋणी द्वारा FICCL से ऋण सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

"निर्माण या सुधार" संपत्ति का निर्माण, संशोधन, नवीकरण, रखरखाव या मरम्मत का कार्य, रखरखाव और उपयोगिता।

देरी से भुगतान का ब्याज का मतलब है बराबर महीनावार किश्त(ईएमआई) या पीईएमआईआई की नियत तारीख के बाद भुगतान की देरी के लिए खर्च।

"इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएं" ("डेबिट क्लियरिंग") बाद में "ईसीएस" कहा गया है का मतलब है रिजर्व बैंक आफ इंडिया की डेबिट क्लियरिंग सेवाएं, ईएमआई के भुगतान की सुविधा के रूप में ऋणी द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है जो ऋण सारांश अनुसूची में विशेष रूप से दिया गया है।

"बराबर मासिक किश्तें" ("ईएमआई") का मतलब है ऋणी द्वारा FICCL को ब्याज के रूप में हर महीने देय राशि या मूलधन और ब्याज और ऋण जैसा सारांश अनुसूची में दिया गया है।

"सुविधा" का मतलब है ऋणी को प्रदान की गई ऋण की सुविधा जो या तो मौजूदा ऋण की एक वृद्धि के रूप में हो या वृद्धि के साथ मौजूदा ऋण से खरीद या व्यक्तिगत ऋण या ऋणी के व्यवसाय/पेशे के उद्देश्यों के लिए लिया ऋण।

"फ्लोटिंग ब्याज दर" ("एफआईआर") इसका मतलब है समय समय के लिए अपने खुदरा मूल उधार दर के रूप में FICCL द्वारा घोषणा की गई ब्याज दर, और FICCL से प्रसार के साथ लागू रूप से, यदि कोई हो, इस अनुबंध के अनुसार ऋणी के ऋण पर FICCL द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

"एफआईआर आवेदन की तारीख" इसका मतलब है वह तारीख, जिस पर इस करार के संदर्भ में ऋणी के ऋण पर FICCL द्वारा एफआईआर लागू किया जाता है।

"ब्याज", का अर्थ है फिक्सड ब्याज दर या फ्लोटिंग ब्याज दर ("एफआईआर") जैसा भी मामला हो।

"ऋण" का मतलब है वह मूल राशि जो ऋण अनुसूची ऋण सारांश में दी गई है जिसके अनुसार FICCL ऋणी को उधार और अग्रिम दे सकता है, और जहां संदर्भ को आवश्यकता है, ऋण की बकाया राशि में मूल राशि सहित ब्याज और ऋणी द्वारा इस समझौते के तहत देय राशि शामिल हैं।

"पूर्व बराबर मासिक किश्त ब्याज" ("PEMII") का मतलब है ऋणी द्वारा ऋण संवितरण की तारीख/ प्राप्ति तारीख से लेकर ईएमआई के प्रारंभ तक ऋण सारांश अनुसूची में दी गई ब्याज दर के अनुसार ऋण पर देय राशि।

"संपत्ति" का मतलब है ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित अनुसार अचल संपत्ति, जो ऋण करार द्वारा FICCL के पक्ष में गिरवी है।

"चुकौती" का मतलब है ऋण खाते के अंतर्गत ऋण की मूल राशि और ब्याज का भुगतान और अन्य बकाया राशि का भुगतान, जैसा कि करार में दिया गया है।

"खुदरा मूल उधार दर" या "आरपीएलआर" का मतलब है अपने खुदरा मूल उधार दर के रूप में समय-समय पर FICCL द्वारा घोषणा की गई ब्याज दर।

"स्वीकृति पत्र" का मतलब है ऋण, तारीख जिसका अनुसूची में उल्लेख है मंजूर करने के लिए ऋणी को FICCL द्वारा संबोधित पत्र।

"अनुसूची" का अर्थ है और इसमें शामिल है ऋण सारांश अनुसूचियां, कोई भी पूरक अनुसूचियां, चुकौती अनुसूचि, अभी संलग्न अनुबंध- या संलग्न अनुबंध जो इस करार भाग के रूप में अब या बाद में जुड़ता है, ऋण से सम्बद्ध, और इस करार का एक अभिन्न हिस्सा है।

"स्टैंडिंग निर्देश" ("एसआई") का मतलब है ऋणी द्वारा बैंक को ऋणी के खाते में डेबिट करने के लिए अपने बैंक के लिए जारी किए गए लिखित निर्देश जिसमें ऋण के लिए FICCL को भुगतान के लिए किश्त के बराबर की राशि होती है जो विशेष रूप से ऋण सारांश अनुसूची में दी गई है।

खण्ड शीर्षक केवल संदर्भ में आसानी के लिए हैं और इस समझौते को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। इस करार में विलक्षण एकवचन में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल हैं, एक लिंग वाले शब्दों में सभी दूसरे शामिल हैं। इस समझौते में सांविधिक प्रावधान के लिए संदर्भ में किसी सांविधिक संशोधन के लिए संदर्भ या फिर से अधिनियमन शामिल होगा।

अनुच्छेद 2

ऋण राशि और ब्याज

2.1 **ऋण की राशि:**

FICCL, ऋणी के अनुरोध पर, ऋणी को देने के लिए सहमत है और ऋणी FICCL से यहाँ दिए गए नियमों, शर्तों और वाचाओं के आधार पर ऋण सारांश अनुसूची में दिए अनुसार मूल राशि से कम राशि उधार लेने के लिए सहमत है।

2.2 **ब्याज:**

- (a) ऋणी समय-समय पर ऋण सारांश अनुसूची (लागू ब्याज कर को छोड़कर) में निर्दिष्ट दर पर अग्रिम ऋण की मूल राशि और बकाया पर ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज और अन्य शुल्क की वर्ष में तीन सौ पैंसठ (365) दिन के आधार पर गणना की जाएगी। ऋण पर ब्याज वास्तविक दैनिक बकाया राशि मासिक आधार के साथ गणना के आधार पर गणना की जाएगी, और ब्याज अगले रुपया में पूर्णांकित किया जाएगा। ऋण पर ब्याज ऋणी या उसके बैंक द्वारा ऋण संवितरण/ऋण के चेक जारी करने, ट्रांजिट, संग्रह, चेक की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगा।
- (b) **स्थिर ब्याज दर:** यदि ऋणी स्थिर ब्याज दर को चुनता है, तो ऋण सारांश अनुसूची में उल्लेख ऋण करार के निष्पादन की तारीख से ऋण पर ब्याज दर लागू होगी। हालांकि ब्याज की दर ऋण की शुरुआत में तय हो गई है, हालांकि जैसे के बाजार की स्थितियों में असाधारण और असाधारण परिवर्तन के तहत FICCL के विवेकाधिकार पर ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन/संशोधन के अधीन है।
- (c) **फ्लोटिंग ब्याज दर ("एफआईआर"):** यदि ऋणी एफआईआर को चुनता है, ऋण के लिए लागू ब्याज दर FICCL खुदरा मूल उधारी दर (आरपीएलआर) से जोड़ी जाएगी। ब्याज दर समय-समय पर बदलाव के अधीन होगी और अगर FICCL आरपीएलआर में परिवर्तन होता है तो ऋण पर ब्याज दर बदल जाएगी। ऋण पर ब्याज दर, पहली वितरण की तारीख से हर तीन महीने में संशोधित किया जाएगा अगर आरपीएलआर में परिवर्तन होता है। इस समय तक, और जैसा कि इस समझौते के संदर्भ में FICCL द्वारा परिवर्तित है, तो ऋण सारांश अनुसूची में उल्लेख ऋण करार के निष्पादन की तारीख से ऋण पर एफआईआर लागू होगी। प्रसार ऋण की अवधि के दौरान लगातार/यथावत रहेगा।

	FICCL के लिए	
ऋणी	सह-ऋणी	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

- (d) एफआईआर FICCL द्वारा ऋणी को अधिसूचित की जाएगी केवल अगर एफआईआर FICCL द्वारा परिवर्तित है और FICCL द्वारा अधिसूचित इस तरह की ब्याज दर ऋणी पर बाध्यकारी होगी।
- (e) ऋण पर लागू ब्याज टैक्स और अन्य लेवी समय-समय पर ऋणी द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी सरकारी अधिकारी या किसी अन्य नियामक एजेंसी चाहे भारत में या विदेश में हो ऋणी मांग पर, FICCL को प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा, FICCL को देय कोई भी ब्याज कर या अन्य कर जो इस तरह के सरकारी अधिकारी या एजेंसी द्वारा लगाया गया हो या कोई अन्य राशि (और या PEMII सहित अन्य खर्च)।
- (f) FICCL के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्याज के रूप में पूर्वोक्त और राशि ऋणी द्वारा देय होंगी जो नियत तारीख पर ऋणी के ऋण खाते से लिया/ड्रेबिट किया जाएगा और बकाया ऋण राशि का हिस्सा समझा जाएगा।

2.3 **ऋण संवितरण:**

- (a) ऋणी द्वारा यहां दी गई सभी शर्तों के प्रदर्शन के अधीन, ऋण एक मुश्त राशि में या उपयुक्त किस्तों में या इस तरह के अन्य तरीके से वितरित किया जा सकता है जिसके लिए ऋणी की जरूरत के संदर्भ में समय-समय पर FICCL द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में FICCL का निर्णय अंतिम निर्णायक और ऋणी पर बाध्यकारी होगा। इस करार के नियम और शर्तों के ऋण वितरित की प्रत्येक किस्त को कवर करेंगे। यदि ऐसा FICCL द्वारा आवश्यक है, ऋणी प्रपत्र FICCL द्वारा अपेक्षित में प्रत्येक संवितरण की प्राप्ति स्वीकार करेगा।
- (b) ऋणी के अनुरोध पर और अगर FICCL, अपने विवेकाधिकार में, फैसला करता है, FICCL द्वारा ऋण संवितरण किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति के लिए ऋणी निर्देश कर सकते हैं। इस तरह का संवितरण ऋणी को FICCL द्वारा किया गया है समझा जाएगा। पूर्व मासिक किस्त ब्याज, अग्रिम किस्त, प्रलेखन शुल्क, ऋण प्रोसेसिंग शुल्क, बीमा के लिए प्रीमियम (यदि लागू हो) आदि की दिशा में सभी प्रारंभिक भुगतान के मूल के लिए ऋणी को ऋण की राशि वितरित की जाएगी। यदि ऐसा FICCL द्वारा आवश्यक है, ऋणी प्रपत्र FICCL द्वारा अपेक्षित में प्रत्येक संवितरण की प्राप्ति स्वीकार करेगा।

यद्यपि यहाँ निहित कुछ भी, ऋणी इस समझौते के समाप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऋण का लाभ प्राप्त करेगा यदि अन्यथा ऋण सारांश अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, ऐसा नहीं करता है जिसमें FICCL ऋणी को ऋण अनुदान/चुकाने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

- (c) यदि ऋणी बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा के लिए FICCL को अनुरोध करता है, ऋण राशि मौजूदा ऋण की अदायगी के प्रति ऋणी की मौजूदा ऋणदाता के नाम पर वितरित की जाएगी। यदि ऋण किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के उद्देश्य के लिए लिया जाता है तो इस तरह के संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के लिए ऋणी बिल्डर/डेवलपर/विक्रेता के लिए अपने स्वयं के योगदान का पूरा भुगतान करता है इसके बाद ही ऋण वितरित किया जाएगा, और इस तरह के भुगतान के सबूत FICCL को प्रस्तुत किए जाएंगे।

2.4 ऋण के नियम:

ऋण के नियम यहाँ दी गई ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित किए जाएंगे।

2.5 संवितरण के लिए टर्मिनल तारीखें:

यद्यपि इस समझौता में किसी बात के होते हुए भी, FICCL, ऋणी को नोटिस के द्वारा भी ऋण संवितरण के ऋणी के अधिकार को समाप्त कर सकता है, यदि इस समझौता/स्वीकृति पत्र की तारीख से 30 दिनों के भीतर या बढ़ाई गई तारीख में लिखित रूप में FICCL की सहमति से इस तरह के वितरण के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 3

चुकोती/पूर्वभुगतान

3.1 चुकोती:

- (a) ऋणी का अवधि की समाप्ति पर ऋण चुकाने के लिए दायित्व निरपेक्ष है। ऋणी इससे सहमत है और वचन देता है कि, वह ऋण सारांश अनुसूची और/या अब संलग्न चुकोती अनुसूची या इस विषय के लिए बनाए गए में विनिर्दिष्ट चुकोती अनुसूची के अनुसार ब्याज के साथ ऋण चुकाएगा, हालांकि, किसी भी कारण से देरी या किसी किश्त के संवितरण की प्रास्थगन की घटना में, ईएमआई के प्रारंभ होने की तिथि महीने में जो सभी ऋण की किश्तों वितरित की गई हैं निम्नलिखित कैलेंडर माह के 4 दिन पर होगी। ईएमआई कि गणना किसी पूर्वाग्रह के बिना FICCL (ब्याज दर की भिन्नता के मामले में) फिर से गणना करने का अधिकार है ईएमआई की फिर से गणना करने के मामले में और इस तह का अतिरिक्त ब्याज ऋणी कि बकाया ऋण राशि पर चार्ज किया जाएगा।

ईएमआई के प्रारंभ तक, ऋणी को लागू के रूप में हर महीने PEMII का मासिक भुगतान करना होगा और PEMII के ऐसे प्रत्येक मासिक भुगतान ऋण सारांश अनुसूची में दी गई ब्याज की दर पर किया जाएगा।

हालांकि परंतु, यदि ऋण कैलेंडर माह के 10 दिन के बाद वितरित किया गया हो और जहां अगली ईएमआई अगले महीने के लिए अगले महीने में आती है, PEMII (जैसा ऋण सारांश अनुसूची में कहा गया है) प्रमुख ऋण राशि का हिस्सा बन जाते हैं और फिर बकाया में और प्रमुख ऋण राशि में शामिल होगा और उसका हिस्सा बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर 100 रुपये का ऋण 20 जनवरी को प्रदान किया गया है और नियमित रूप से मासिक किश्त मार्च के 4 दिन से शुरू होती है, तो 20 जनवरी से 3 फरवरी के बीच की अवधि के लिए ब्याज की राशि (मान लें 2 रुपये) प्रमुख ऋण राशि में जोड़ दी जाएगी और आगे के ब्याज कि गणना 100 रुपये के बजाय 102 रुपये की मूल राशि पर की जाएगी।

अगर ऋणी के अनुरोध पर ऋण किश्तों में वितरित किया जाता है और अगर FICCL द्वारा सहमत है, तो ऋणी इस करार के तहत ऋण की पूरी अवधि पर आधारित वितरित की गई मात्रा और बकाया पर FICCL को ईएमआई का भुगतान करेगा। ऋण के प्रत्येक वितरण पर, तो ऋण की अवधि तक ऋण के तहत बकाया पूरी मात्रा की अदायगी को कवर करने के लिए ईएमआई में वृद्धि/संशोधित किया जाएगा।

परंतु यह है कि पुनर्भुगतान की पूर्वोक्त अवधि को FICCL द्वारा, ऋणी के अनुरोध पर, इस तरह की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है

जैसे कि FICCL अपने विवेकाधिकार पर इस तरह के नियम और शर्तों को उचित समझे जो FICCL और ऋणी के बीच सहमति हो सकती है

और एक परिणाम के रूप में इस संबंध में जिनमें पूर्वोक्त रूप में राशि या ईएमआई की कुल संख्या में एक संशोधन हो सकता है।

ऋणी सहमति है कि ऋणी को PEMII के पूंजीकरण के लिए और/या राशि में या ईएमआई की कुल संख्या संशोधन करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

- (b) यद्यपि उक्त अनुच्छेद 3.1(a) और चुकोती अनुसूची के अनुसार, FICCL को चुकोती अनुसूची की किसी भी समय या समय-समय पर समीक्षा करने और पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा और इस तरह के तरीके में FICCL, अपने विवेकाधिकार में तय कर सकता है और चुकोती इस के बाद संशोधित ईएमआई के अनुसार बनाई जाएगी।

- (c) ऋणी को ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित के रूप में अग्रिम में अग्रिम किश्तों की FICCL को भुगतान करना चाहिए या तो समझौते के निष्पादन के समय या उसके बाद के FICCL ("अग्रिम किश्त") द्वारा निर्धारित किसी भी समय पर। अग्रिम किश्त को ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित तरीके के अनुसार किश्तों के विपरीत समायोजित किया जाएगा। FICCL अग्रिम किश्त भुगतान पर किसी भी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

FICCL के लिए

ऋणी

सह-ऋणी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

3

- (d) अगर ऋणी प्रबंधकीय सुविधा के लिए नीचे दिए गए उप अनुच्छेद (f) के तहत प्रदान एफआईआर, सहेज को चुनता है तो ईएमआई राशि एफआईआर में बदलाव की परवाह किए बगैर स्थिर रहती है, और इस के परिणाम के रूप में ईएमआई की संख्या भिन्न होने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक प्राथमिकी संशोधन पर ऋणी द्वारा भुगतान योग्य ईएमआई की संख्या के रूप में कोई अतिरिक्त सूचना FICCL द्वारा दी जाएगी। हालांकि FICCL के वित्तीय वर्ष के दौरान लागू/लागू हुए एफआईआर के रूप में जानकारी और ऐसी अवधि के दौरान पिछले एफआईआर संशोधन से देय ईएमआई की संख्या ऋणी को सालाना FICCL द्वारा सूचित किया जाएगा। ऋणी तब तक ईएमआई का भुगतान करेगा जब तक ब्याज के साथ ऋण का पूर्ण में चुकाया नहीं हो जाता है।
- (e) इस करार में निहित कुछ होते हुए भी के विपरीत, समय के लिए एफआईआर के संबंध में, FICCL उपयुक्त रूप में ईएमआई राशि में वृद्धि करने का हकदार होगा यदिः
- ये ईएमआई नकारात्मक पुनर्भुगतान (यानी ईएमआई ब्याज को पूर्ण रूप में कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है) की ओर जाएगी और/या
 - FICCL द्वारा निर्धारित ऐसी अवधि के भीतर ईएमआई में निहित प्रमुख घटक ऋण चुकाने के लिए अपर्याप्त है ऋणी को ऐसी वृद्धि हुई ईएमआई राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा और FICCL द्वारा टी कि गई संख्या और FICCL द्वारा ऋणी को बता दिया जाएगा।
 - FICCL समय-समय पर अपने खुदरा मूल उधार दर को बदल सकता है जैसा ही FICCL अपने स्वयं के विवेक में उचित समझे।
 - यदि ऋणी इसके अंतर्गत किसी भी वजह से राशि के भुगतान में चूक करता है, चाहे वह ऋण की बकाया राशि की चुकौती के माध्यम से या ऋणी द्वारा ब्याज के भुगतान के माध्यम से या किसी भुगतान की वजह से और देय के कारण, या ऋणी इस समझौते की किसी भी अन्य शर्त का उल्लंघन या चूक करता है या ऋण के संबंध में किसी भी अन्य साधन के तहत, ऋणी, बकाया राशि के संबंध में और ब्याज के संबंध में या डिफॉल्ट रूप में अन्य राशि, मासिक आधार पर या ऐसी अवधियों पर जो FICCL समय-समय पर लिखित रूप में सूचित कर सकता है, ऋण सारांश अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करता है जो भुगतान की तारीख तक डिफॉल्ट की तारीख तक होती है। ऋणी स्पष्ट रूप से सहमत है कि इस तरह के अतिरिक्त ब्याज की दर घटाने के ऋणी की ओर से इस तरह की देरी/चूक की वजह से FICCL द्वारा सामना करने की संभावना का एक उचित अनुमान है अतिरिक्त ब्याज का भुगतान ऋणी को समय पर भुगतान करने या और/या ऐसी चूक के संबंध में अन्य दायित्वों से दोषमुक्त नहीं करेगा या चूक के संबंध में FICCL के अन्य अधिकारों में से किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है कि उक्त अतिरिक्त है और FICCL स्पष्ट रूप से सभी अधिकार सुरक्षित रखता है यदि ऋणी द्वारा कोई भी डिफॉल्ट किया जाता है। इसके अलावा और इस के साथ साथ ऊपर कहे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणी डिफॉल्ट रूप से उत्पन्न किसी भी तरह की कीमत, शुल्क और खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा जिसे FICCL को भुगतान करना पड़ सकता है।
 - ऋणी ऋण के संवितरण की तारीख पर या से पहले, ऋण सारांश अनुसूची में उल्लिखित दर पर FICCL को गैर वापसी वार्षिक सेवा शुल्क / प्रोसेसिंग फीस / प्रतिबद्धता की फीस का भुगतान करेगा।
 - ऋणी ऋण सारांश अनुसूची, खर्चा शीट के निर्दिष्ट अनुसार फीस और खर्च सहन और FICCL को भुगतान करेगा, और जिसमें शामिल होगा, लेकिन प्रलेखन और प्रोसेसिंग शुल्क (गैर वापसीयोग्य), प्री-ईएमआई ब्याज (यदि लागू हो), और इस तरह के अन्य शुल्क जैसे कि चेक बाउंस शुल्क, चेक/ईसीएस स्वैप शुल्क, अतिरिक्त ब्याज, पूर्व भुगतान शुल्क और FICCL की आंतरिक नीतियों के अनुसार समय-समय पर लागू कोई भी फीस या शुल्क, सांविधिक शुल्क या अन्यथा, ऋण के संबंध में देय तक ही सीमित नहीं होगा। FICCL ऋणी को कोई भी सूचना दिए बिना ऊपरी शुल्क/खर्च में संशोधन करने का हकदार होगा। उक्त खर्च के अलावा ऋणी, FICCL को भुगतान और प्रतिपूर्ति, टैक्स, सर्विस टैक्स, शुल्क (स्टॉप शुल्क सहित), और करों (सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी भी विवरण के रूप समय-समय पर लगाया जा सकता है) से संबंधित सभी खर्च वहन करेगा और सभी अन्य लागत और खर्च संबंध में (क) ऋण के आवेदन और अनुदान और चुकौती के लिए (ख) ब्याज के साथ ऋण की वसूली और प्राप्ति, (ग) प्रवर्तन कार्यवाही, यदि कोई हो।
 - FICCL को ऋणी द्वारा किए गए सभी भुगतान किसी भी कटौती या किसी भी कर से स्वतंत्र होंगे। यदि ऋणी ऐसी कटौती चाहता है, फिर, इस तरह के मामले, FICCL को देय राशि में इस हद तक वृद्धि की जाएगी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की कटौती करने के बाद, FICCL को इतनी राशि प्राप्त हो और बनाई जाए (इस तरह की कटौती के बिना किसी भी देनदारी के बिना) जो उसे इस तरह की कटौती किए बिना प्राप्त होती हो।
 - ऋणी सहमत, घोषित और इस बात की पुष्टि करता है कि अनुबंध अधिनियम या किसी अन्य कानून या नियम और शर्तों के प्रावधानों के किसी भी समझौते में निहित, और या किसी भी सुरक्षा दस्तावेज में निहित, कोई भी राशि FICCL द्वारा लिखित रूप में सहमति व्यक्त न होने पर निम्नलिखित तरीके से विनियोजित नहीं होगीः

1. सबसे पहले लागत, शुल्क, खर्च और अन्य पैसा, देय और FICCL को देय की ओर;

2. दूसरे ब्याज देय और देय और/या एकत्रित देय और FICCL को देय और
3. मूल राशि की किसी भी ईएमआई/किश्त की चुकौती की ओर या देय या FICCL को देय की ओर।
- (i) यदि ऋणी अपने दायित्वों के किसी का भी उल्लंघन करता है तो समझौते के अनुच्छेद 8 के अनुसार इसे चूक की एक घटना के रूप में माना जाएगा।
- 3.2 ऋणी द्वारा ऋण निम्नलिखित तरीके से किसी के माध्यम से और अधिक विशेष रूप से ऋण सारांश अनुसूची में निहित के द्वारा चुकाया जा सकता है:
- (क) FICCL ("पीडीसी") के पक्ष में तैयार क्रॉस पोस्ट डेटेड चेक ;
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा (ईसीएस) और पीडीसी;
- (ग) डायरेक्ट डेबिट / स्थायी निर्देश।
- 3.3 **पोस्ट डेटेड चेक/ईसीएस:**
- (a) जहाँ ऋणी ऋण राशि और ब्याज की चुकौती के लिए ईसीएस/ पोस्ट डेटेड चेक जारी करने के लिए सहमत हो गया है, पहले से ही ऋणी द्वारा प्राप्त करने के लिए ऐसे ईसीएस/एसआई चेक पर पर्याप्त विचार किया जाएगा। यदि ब्याज दर में बदलाव के परिणाम के रूप में, ईएमआई की संख्या या राशि में वृद्धि होती है, तो ऋणी झट से FICCL की मांग पर FICCL के पक्ष में नए ईसीएस मैडेट/अतिरिक्त पोस्ट डेटेड चेक जारी करेगा। ऋणी भुगतान के लिए उनकी नियत तारीख पर ईसीएस/एसआई/चेकों की वसूली के लिए पर्याप्त संतुलन बनाए रखेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि ऋणी किसी भी समय पर बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जहां चेक जारी किए गए हैं या चेक के प्रस्तुतीकरण को रोकने के लिए बैंक को कोई भी आदेश नहीं देगा। ऋणी स्वीकार करता है कि जारी किए गए ईसीएस/चेक के किसी भी तरह से अस्वीकृत होने पर ऋणी FICCL की आंतरिक नीतियों के अनुसार लागू के रूप में अस्वीकृत जैसी घटना के लिए ऋणी को अस्वीकृत होने के चेक के शुल्क का उत्तरदायी बनाएगा। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित और सहमति हुई है कि इस तरह के खर्च लगाना कानून के तहत FICCL के अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चाहे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता, 1860 या अन्यथा कोई और हो। इसकी आगे भी यह आगे भी सहमति व्यक्त की गई और समझा जाता है
- For FICCL
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
- ऋणी सह-ऋणी 4
- कि किसी भी कारण के लिए FICCL की ओर से ईसीएस /चेक या उनमें से किसी की गैर प्रस्तुति के लिए, किसी भी तरीके से ऋणी की देनदारी को प्रभावित नहीं करेगा। यदि ऋणी द्वारा इस खंड की शर्तों के अनुसार FICCL को ईसीएस/ या पोस्ट डेटेड चेक FICCL के कब्जे से खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं; या मौत, दिवाला, पागलपन, प्राधिकरण या हस्ताक्षरकर्ता की समाप्ति या किसी एक या से अधिक हस्ताक्षरकर्ता (यदि एक से अधिक हो) की समाप्ति या अदाकर्ता बैंक के परिसमापन के कारण नकद करने के योग्य नहीं होता है; या FICCL के विवेकआधार पर किसी भी कारण से बदलने की आवश्यकता है, तो ऋणी FICCL से ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर इस तरह के ईसीएस/एसआई/चेकों को नए ईसीएस/चेकों के साथ स्थानापन्न/बदलेगा जो की पहली वाली राशि के ईसीएस/चेकों की तरह देय हों। क्या ऋणी एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए इंटरचेंज ईसीएस/ पोस्ट डेटेड चेक को स्वैप करना चाहता है, ऋणी समय-समय पर FICCL की लागू आंतरिक नीतियों के अनुसार FICCL स्वैप शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।
- 3.4 **पूर्व भुगतान**
- ऋणी ऋण राशि और ब्याज बकाया पर पूर्व भुगतान करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक ऋणी ने पहले छह (6) तक ईएमआई का पूरी तरह से भुगतान किया है। पूर्व भुगतान के लिए कोई अनुरोध FICCL को लिखित रूप में FICCL को एक माह पूर्व सूचना देने के द्वारा किया जाएगा। यदि ऋणी पूर्व भुगतान करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करता है, FICCL ऋण सारांश अनुसूची में निर्दिष्ट के साथ साथ समय-समय पर FICCL द्वारा संशोधित किया जा सकने वाले पूर्वभुगतान शुल्क चार्ज करने का हकदार होगा। ऋणी द्वारा इस करार के तहत कोई राशि प्रीपेड फिर से उधार या वापस नहीं ली जा सकती है।
- 3.5 **भुगतान में देरी:**
- ऋणी किसी डिफॉल्ट के बिना और किसी दावे के बिना या संबंधित तारीखों के प्रति दावा जिस पर राशि देय है के बिना पूर्ण ऋण राशि और अन्य राशि का भुगतान करेगा। ऋणी को नियत तारीख पर अपने दायित्व के बारे में ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए किसी नोटिस, सूचना या अनुस्मारक नहीं दिया जाएगा। FICCL के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत तारीख के भीतर भुगतान में देरी के मामले में, ऋणी ऋण सारांश अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर विलंबित भुगतान ब्याज का भुगतान करेगा जो समय-समय पर FICCL द्वारा संशोधित की जा सकती हैं।
- 3.6 **संयुक्त और कई होने की देयता:**

जहाँ एक से अधिक ऋणी और/या सह ऋणी को ऋण प्रदान किया जाता है तो, कुछ होते हुए भी इस के साथ साथ, ऋणी और सह ऋणी का ब्याज के साथ ऋण चुकाने के दायित्व के साथ-साथ और समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त और कई होगा।

- 3.7 इस खंड संख्या 3 के अधीन या इस समझौता में किसी भी अन्य खंड के अधीन देययोग्य कोई भी शुल्क FICCL द्वारा अपने विवेकाधिकार पर माफ किया जा सकता है और FICCL का निर्णय अंतिम होगा और ऋणी द्वारा किसी भी सहारे के बिना किया जाएगा।

अनुच्छेद 4

ऋण के वितरण से पूर्व शर्त

- 4.1 ऋण के संवितरण के लिए FICCL का दायित्व इस शर्त के अधीन होगा कि:
- (a) ऋणी FICCL की साख की शर्त को पूरा करता हो। FICCL ऋणी की साख के लिए उचित करने के लिए FICCL इस तरह की प्रकृति की जांच किए जाने का हकदार होगा। FICCL ऋणी से इस तरह की साख के लिए कॉल के लिए हकदार होगा जो ऋणी की साख साबित करने के लिए आवश्यक हो सकता है;
 - (b) अनुच्छेद 8 में परिभाषित डिफॉल्ट की किसी भी घटनाओं के रूप में और कोई घटना जो, समय या नोटिस की त्रुटी के साथ और दिए अनुच्छेद में निर्दिष्ट के रूप में समय की चूक डिफॉल्ट की एक घटना बन जाएगी और जारी रहेगी।
 - (c) ऋणी संवितरण के लिए अनुरोध करने के समय FICCL को संतुष्ट करेगा जो कि ऋण सारांश अनुसूची में दिए गए उद्देश्य अनुसार ऋणी द्वारा आवश्यक है और ऋणी ऋण के प्रस्तावित उपयोग के लिए FICCL को संतोषजनक सबूत देगा
 - (d) कोई असाधारण परिस्थितियों नहीं होंगी जो ऋण को जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है और/या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋणी के लिए असंभव बनाएं;
 - (e) FICCL ऋणी को कॉल करने का हकदार होगा और ऋणी FICCL को FICCL द्वारा तय अतिरिक्त सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि सुरक्षा के मूल्य में काफी गिरावट आती है;
 - (f) ऋणी ने संपत्ति के अधिग्रहण / निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध कराने का एक हिस्सा के लिए पूरी तरह से अपने स्वयं के योगदान (अर्थात् संपत्ति की लागत ऋण से कम हो) का उपयोग किया है जब तक विशेष रूप से FICCL द्वारा अनुमति प्राप्त न हो;
 - (g) ऋणी FICCL के लिए फार्म और पदार्थ में संतोषजनक निम्नलिखित आइटमों का वितरण करेगा:
 - i) ऋण प्राप्त करें और सुरक्षा बनाने के लिए ऋणी की शक्ति और साक्ष्य कि सभी सहमति अनुमोदन और अनुमति ऋण प्राप्त करने और/या सुरक्षा के सृजन का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है उन्हें प्राप्त किया गया है।;
 - ii) सुरक्षा दस्तावेज़ और/या गारंटी;
 - iii) साक्ष्य कि ऋणी संपत्ति के लिए सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त स्पष्ट और विपणन शीर्षक है और FICCL के पक्ष में गिरवी रखने में सक्षम है।;
 - iv) इस तरह की जानकारी और दस्तावेजों, जिनमें दस्तावेजों के अद्यतन संस्करण भी शामिल हैं पहले से प्रस्तुत करें, अगर संवितरण इस करार की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद है।
 - v) संपत्ति या जमीन जिस पर संपत्ति का निर्माण किया जा रहा है की बिक्री के लिए अनुबंध संविदा के साक्ष्य;
 - vi) इस तरह की जानकारी और दस्तावेजों, जिनमें दस्तावेजों के अद्यतन संस्करण भी शामिल हैं पहले से प्रस्तुत करें, अगर संवितरण इस करार की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद है।

अनुच्छेद 5

सुरक्षा

- 5.1 ऋणी FICCL को इस करार के तहत बिना शर्त चुकौती और ऋण, ब्याज, फीस, शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, दंडात्मक शुल्क और खर्चों का भुगतान और अन्य सभी देय राशि और देययोग्य का भुगतान करने के लिए सहमत है कि संपत्ति और अन्य संपत्तियों जिनकी FICCL को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है FICCL के पक्ष में बंधक के माध्यम से पहली बार शुल्क द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
- 5.2 FICCL को अपने विवेकाधिकार में पूर्वोक्त रूप में ऋण और अन्य सभी राशियों को हासिल करने के लिए ऋणी द्वारा पैदा किए जाने बंधक के प्रकार या किसी अन्य सुरक्षा और/या अतिरिक्त सुरक्षा के बारे में फैसला करने का अधिकार होगा और ऋणी इस तरह की सुरक्षा बनाने के लिए बाध्य होगा और विधिवत ही साक्ष्य के रूप में FICCL द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करेगा।
- 5.3 ऋणी FICCL द्वारा आवश्यक ऋण के लिए कोई भी बांड या वचन पत्र और इस तरह के अन्य सभी दस्तावेज, मुख्तारनामा और करार को निष्पादित कर सकता है। इस तरह के दस्तावेजों के मूल FICCL के साथ सुरक्षित रखे जाएंगे।

- 5.4 इस के साथ साथ उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियां ऋणी द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में जारी सुरक्षा होना समझा जाएगा। FICCL की संतुष्टि तक ऋण के संबंध में देय के पूरी तरह भुगतान होने तक प्रतिभूति को छोड़ा नहीं जाएगा और FICCL ऋणी को लिखित रूप में किसी भी सुरक्षा के संबंध में निर्वहन की सहमति देता है।
- 5.5 प्रतिभूतियों ऋण के पहले से संवितरण से सात दिनों के भीतर या FICCL द्वारा निर्देशित अनुसार बनाई जाएंगी। यदि ऋणी द्वारा ऊपर के साथ पालन करने में देरी होती है तो FICCL 4% पर अतिरिक्त ब्याज दर लगन का हकदार होगा और बकाया ऋण के भाग के रूप में समझा जाएगा। अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का दायित्व FICCL के अन्य अधिकारों और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।
- 5.6 यदि किसी भी समय इस करार के निर्वाह के दौरान, FICCL को लगता है कि ऋणी द्वारा प्रदान की प्रतिभूतियां FICCL के बैलेंस को कवर करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो FICCL इस प्रभाव के लिए ऋणी को सलाह देगा, कि ऋणी FICCL की संतुष्टि के लिए, FICCL को इस तरह की अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान और प्रस्तुत करेगा जो ऐसी कमी को कवर करने के FICCL को स्वीकार्य हो। ऋणी ऋण के संबंध में FICCL द्वारा समय-समय पर आवश्यक इस तरह के अन्य दस्तावेज जमा करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 6

ऋणी प्रस्तुती और वारंटी

- 6.1 ऋणी एतद्वारा घोषित, प्रस्तुत और आश्वासन देता है कि:
- a) ऋणी को पता है कि FICCL ऋण आवेदन और ऋणी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के विश्वास के आधार पर ऋण अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है तथा इसे सत्य और सही होने पर विश्वास करता है
- b) ऋणी द्वारा ऋण के संबंध में अपने आवेदन में और किसी भी पूर्व या बाद में या उपलब्ध कराई गई जानकारी या FICCL को प्रस्तुत स्पष्टीकरण के द्वारा दी गई जानकारी, सच, पूर्ण और सभी संबंध में सही है और ऋणी द्वारा कोई तथ्य या जानकारी आवश्यक प्रस्तुत नहीं की जानी है ताकि FICCL ऋण प्रदान करे।;
- (c) आवेदन के बाद ऋणी की वित्तीय स्थिति में कोई आर्थिक प्रतिकूल बदलाव नहीं किया गया है, और न ही कोई भी घटना हुई है या हो सकती है जो FICCL की रुचि के प्रतिकूल हो सकती है जो इस करार के तहत ऋणी की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को भौतिक और/या प्रतिकूल प्रभावित करने की संभावना है;
- (d) पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भी भाग पर कोई बंधक, शुल्क, लिस्पेंड या ग्रहणाधिकार या अन्य प्रकार के ऋण भार या जिस तरह से, लाइट या अन्य सुविधा या समर्थन के अधिकार नहीं हैं;
- (e) संपत्ति के संबंध में अधिग्रहण या मांग का कोई नोटिस न जारी या प्रकाशित किया गया है या प्राप्त किया गया है, और उसके संपत्ति या उसके किसी भाग के खिलाफ कोई प्रतिकूल दावा नहीं किया गया है, और न ही संपत्ति किसी भी प्रयोजन के लिए आरक्षित है।;
- (f) ऋणी बिल्कुल जब्त और अधीन और संपत्ति का हकदार है और ऋणी का संपत्ति के लिए एक स्पष्ट और विपणन शीर्षक है और FICCL के पक्ष में गिरवी करने में सक्षम है;
- (g) यह समझौता होने की तारीख के रूप में, वहाँ कोई मुकदमेबाजी, कार्यवाही या विवाद या लंबित कार्यवाही या ऋणी के खिलाफ धमकी नहीं है, प्रतिकूल दृढ़ संकल्प जो की काफी हद तक ऋण चुकाने या ऋणी की वित्तीय स्थिति पर एक हकीकत में प्रतिकूल प्रभाव के लिए ऋण लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है;
- (h) ऋणी को किसी भी दस्तावेज, निर्णय या कानूनी प्रक्रिया या अन्य शुल्क या किसी अव्यक्त या पेटेंट दोष बारे में पता नहीं है जो संपत्ति के शीर्षक को प्रभावित करे या संपत्ति के किसी भी सामग्री दोष के या शीर्षक के बारे में पता नहीं है जो अज्ञात बनी हुई है और / या जो FICCL को प्रतिकूल प्रभावित कर सकता है और किया गया है / FICCL के लिए संपत्ति के संबंध में शीर्षक डीड उपलब्ध कराया है और FICCL द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
- (i) यह कि ऋणी की संपत्ति केंद्र / राज्य सरकार या सुधार संस्था या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या किसी संरेखण द्वारा की योजनाओं में से किसी में शामिल नहीं है या उससे प्रभावित नहीं है, केन्द्र / राज्य सरकार या किसी निगम, नगर समिति, ग्राम पंचायत आदि की किसी भी योजना के तहत चौड़ा करने या सड़क के निर्माण में शामिल नहीं है।;
- (j) संपत्ति के संबंध में कानून की किसी भी अदालत में कोई केस लंबित नहीं है न ही ऋणी को किसी अधीन स्थानीय निकायों अथवा ग्राम पंचायत या स्थानीय अधिकारियों से संबंधित नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए या यही इन अधिनियमों कि किसी भी प्रक्रिया के साथ कोई भी नोटिस दिया गया है।;
- (k) ऋणी ने ऋण का लाभ उठाने और सुरक्षा बनाने के लिए सरकार या किसी सांविधिक निकाय, वित्तीय संस्थान, एजेंसी या प्राधिकरण से सभी अनुमति, अनुमोदन सहमति या प्रतिबंध अगर कोई भी आवश्यक है प्राप्त की है और सारे समय FICCL को बकाया का पूरा भुगतान करते हैं और ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया है, ऐसे सभी अनुमतियाँ, अनुमोदन, सहमति या प्रतिबंधों को वैध और संविदा रखें;
- (l) अनुसरण में क्रियान्वित समझौता और दस्तावेज, जब क्रियान्वित और डिलीवर किए जाएंगे, ऋणी के दायित्वों को वैध और बाध्यकारी करेंगे;

- (m) ऋणी ने कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही कोई भी कदम उठाए गए हैं या ऋणी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की या धमकी दी गई है इसके समापन, विघटन, प्रशासन, पुनर्गठन, दिवाला, दिवालियापन या रिसीवर की नियुक्ति के लिए, व्यवस्थापक या ऋणी का अदालत अधिकारी या सभी या अपनी संपत्ति या उपकरणों के किसी भी के लिए;
- (n) ऐसी कोई प्रतिकूल घटना नहीं हुई है जो संपत्ति के निर्माण को प्रभावित करे;
- (o) इस समझौते का निष्पादन और प्रतिपादन और इसके अंतर्गत अपने दायित्वों का प्रदर्शन (i) किसी लागू कानून, कानून या विनियमन या किसी निर्णय या डिक्री जिस की ऋणी अवहेलना करता है (ii) किसी भी शर्त के उल्लंघन में टकराव या परिणाम या प्रतिज्ञापत्र और शर्तों, किसी भी मौजूदा समझौते का डिफाल्ट जिसमें ऋणी एक पार्टी हो या (iii) जापन और संघ विलेख/ साझेदारी डीड/ट्रस्ट डीड/समाज के कानून या ऋणी के अन्य संवैधानिक दस्तावेज के किसी प्रावधान का टकराव या उल्लंघन;
- (p) ऋणी की वित्तीय स्थिति में कोई आर्थिक प्रतिकूल बदलाव नहीं किया गया है, और न ही कोई भी घटना हुई है या हो सकती है जो ऋणी के नवीनतम अंकेक्षित वित्तीय की तारीख के बाद से FICCL की रूचि के प्रतिकूल हो सकती है जो इस समझौते के तहत ऋणी की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को भौतिक और/या प्रतिकूल प्रभावित करने की संभावना है;
- (q) तथ्य, परिस्थितियां या घटनाएं, हकीकत में उधार लेने के लिए हानिकारक हैं, इसके अंतर्गत ऋणी की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता और/या ऋण के संबंध में, और/या ऋणी की वित्तीय स्थिति, और/या FICCL अपने अधिकारों के अंतर्गत उनके कार्य करने की क्षमता और/या देय चुकौती प्राप्त करने और ऋण के तहत ऋणी से बकाया राशि का भुगतान करने या, ऋणी के आकलन में, होने की संभावना है;
- (r) ऋणी संपत्ति का एकमात्र कब्जेवाला और अधिकार वाला है और ऋणी लेखन में FICCL की पूर्व अनुमति के बिना (जो FICCL अपने विवेक से मना करने का हकदार होगा) किसी भी अन्य पार्टी को पट्टे पर संपत्ति देने/छोड़ने और लाइसेंस या के लिए किसी भी अधिभोग के आधार पर कब्जे में नहीं देगा।

		FICCL के लिए
ऋणी	सह-ऋणी	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

- (s) ऋणी प्रस्तुत करता और आश्वासन देता है कि ऋणी किसी भी आधार पर और/या किसी भी परिस्थिति में कोई भी दंडात्मक क्षति या मुआवजा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी FICCL से दावा या उबरने के लिए नहीं करेगा, सुविधाओं के संबंध में या परिकल्पित लेनदेन या इसके अंतर्गत FICCL के किसी भी कार्य या कार्यवाही और/या सुविधाओं के संबंध में, FICCL द्वारा मामले में लिए गए या छोड़े गए और/या अनुसारी और/या FICCL या एक लेनदार के रूप अपने ब्याज और अधिकार को बचाने के संबंध में.
 - (t) इस करार के संदर्भ में ऋणी द्वारा ऋण किशतों या अन्य राशि की अदायगी करने में चूक के मामले में, FICCL उचित समझने के रूप में FICCL पूर्ण स्वतंत्रता से किसी भी तरीके से, संपत्ति को बेचने या हस्तान्तरित करने, ऋणग्रस्त करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी और ऋणी बिना हिचकिचाए या विरोध प्रदर्शन के संपत्ति को शांत और शांतिपूर्ण खाली कब्जे को सौंप देगा और FICCL को संपत्ति पर कब्जा लेने का पूरा अधिकार होगा।
- 6.2 ऋणी तुरंत लिखित रूप में FICCL को सूचित करेगा यदि उसे इस समझौते की तारीख के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति के बारे में पता चलता है जिस कारण कोई प्रस्तुती और वारंटी किसी भी कारण वित्तीय या व्यापार की स्थिति या ऋणी की संभावनाओं के लिए झूठ गलत या कोई भ्रामक बन जाएगी।

अनुच्छेद 7 प्रतिज्ञापत्र

7.1 सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र:

ऋणी प्रतिज्ञापत्र देता है और वचन देता है कि जितने लंबे समय तक इस समझौते के तहत देय राशि बकाया रहेगी, और इसके अंतर्गत जब तक सारे पैसे का पूर्ण और अंतिम भुगतान होता है, या होगा, जब तक कि FICCL लिखित रूप में अनुपालन का समर्पण करता है:

- (a) FICCL को बताए गए उद्देश्य उपकरणों की खरीद के लिए ऋण का उपयोग करता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करता है;
- (b) FICCL की मांग पर समझौते के तहत FICCL को ऋण और ब्याज और सारे पैसे का भुगतान करता है। तथापि चुकौती अनुसूची निर्दिष्ट/उपलब्ध करवाकर, ऋणी इस बात से सहमत है कि FICCL मांग पर समझौते के तहत यहाँ निर्दिष्ट अन्य देय राशि के साथ-साथ पूरे ऋण का भुगतान करने का अधिकार होगा।;

- (c) वह सब करे जो पूरी शक्ति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है और सभी आवश्यक प्राधिकरण, अनुमोदन, लाइसेंस और सहमति को सक्षम करें जो प्रवेश के लिए आवश्यक है इस समझौते के तहत अपने दायित्व को पूरा करे और इस समझौते के साक्ष्य में वैधता, मान्यता, प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करे;
- (d) ऐसी किसी भी आर्थिक मुकदमेबाजी, मध्यस्थता या अन्य कार्यवाही के बारे में FICCL को सूचित करें जो ऋणी को प्रभावित करती है, इस तरह की कार्यवाही जो किसी भी ऋणी के खिलाफ पैसे के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा शुरू करने या धमकी दी जा रही है, या ऋणी की किसी गारंटी या ऋणी द्वारा दी गई सुरक्षा के खिलाफ लागू करता है;
- (e) तुरंत किसी भी घटना के बारे में FICCL को सूचित करें जिससे यह अवगत हो जो ऋणी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या इस समझौते के तहत उसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है;
- (f) डिफॉल्ट की किसी भी घटना के मामले में तुरंत FICCL को सूचित करें और इस घटना के उपाय संबंधी कदम उठाएं और समय-समय पर, यदि FICCL द्वारा अनुरोध किया गया है, FICCL को लिखित रूप में ऐसी पुष्टि करें, कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है और जारी रखें;
- (g) संपत्ति को मरम्मत के लिए अच्छी और पर्याप्त स्थिति में बनाए रखना और आग, भूकंप, बाढ़, तूफान, आंधी या दुर्भावनापूर्ण क्षति या भगवान के किसी भी कृत्य के कारण संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए तुरंत सूचित करें
- (h) ऋणी के रोजगार / व्यवसाय या पेशे में किसी भी परिवर्तन के लिए इस तरह के परिवर्तन के बारे में 7 दिनों के भीतर FICCL को सूचित करें।;
- (i) विधिवत और ठीक समय पर, संपत्ति के होल्डिंग के सभी नियमों और शर्तों को देखें, सभी नियम, विनियम और संबंधित सहकारी समिति, एसोसिएशन, कंपनी या किसी अन्य प्राधिकारी के कानूनों का निरीक्षण करें यदि लागू हो और संपत्ति के उपयोग या उसके लिए संबंध में संबंधित इस तरह के रखरखाव और अन्य शुल्क, बकाया राशि और व्यय का भुगतान करें;
- (j) FICCL को स्वीकार्य किसी भी बीमा कंपनी के साथ FICCL द्वारा आवश्यक मूल्य के लिए आग और अन्य प्रथागत जोखिम और खतरों के खिलाफ संपत्ति का बीमा और बीमित करें, और FICCL नीति के तहत एकमात्र लाभार्थी होगा और मांगे जाने पर साक्ष्य का उत्पादन करना होगा;
- (k) संपत्ति के निरीक्षण के उद्देश्य के लिए FICCL, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या FICCL द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को उचित समय पर संपत्ति का उपयोग करने के लिए अनुमति देना;
- (l) समय-समय पर नियमित रूप से सभी करों, मूल्यांकन बकाया, टैक्स और दंड का भुगतान करें, जो किसी सरकारी निकाय या प्राधिकरण को देय हो;
- (m) FICCL को सभी सरकारी शुल्क, करों या दंड पर या इस समझौते के अनुसरण में या इसके अधीन जारी किए किसी भी साधनों पर लगाया कर का भुगतान और प्रतिपूर्ति करें;
- (n) FICCL के अनुरोध पर प्रदर्शन और निष्पादित करें, इस तरह के कार्य, डीड, करार, दस्तावेज, उपक्रम जो इस करार के लिए आवश्यक हो सकता है;
- (o) सुरक्षा बनाएं और FICCL द्वारा अपेक्षित रूप में सुरक्षा दस्तावेजों को फार्म और निष्पादित करें।

7.2 नकारात्मक प्रतिज्ञापत्र:

- ऋणी प्रतिज्ञापत्र और वचन देता है कि इस समझौते के तहत जितने लंबे समय तक देय राशि बकाया रहेगी और जब तक इसके अंतर्गत सभी पैसे की पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं होता है, यह FICCL की लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा:
- (a) किसी भी सद्दा या सामाज विरोधी या गैर-कानूनी या अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण का उपयोग करना और ऋण के अंत का उपयोग FICCL को ऋणी द्वारा आवेदन में दी गई घोषणा के अनुसार होगा;
 - (b) संपत्ति या उसके किसी भाग को पट्टे पर देना या छोड़ देना और लाइसेंस या कब्जा देना;
 - (c) संपत्ति को बेचना, बंधक, समर्पण पट्टे या अन्यथा कितनी ही विमुख या हस्तांतरण या किसी तीसरे पक्ष के हित देना या उसके किसी भाग को बनाना या किसी भी आरोप, भार या जो भी संपत्ति पर किसी भी तरह का धारणाधिकार देने की अनुमति देना
 - (d) संपत्ति का उपयोग बदलना;
 - (e) ऋणी की किसी अन्य संपत्ति के साथ संपत्ति या किसी भी आसन्न संपत्ति को मिलाना या विलय करना, और संपत्ति पर किसी भी अन्य अधिकार या सुविधा बनाना;
 - (f) मुख्तारनामा, क्षतिपूर्ति या किसी अन्य काम को निष्पादित करना, सम्पत्ति के साथ सौदा करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में ऐसे व्यक्ति को सक्षम करना।;
 - (g) संपत्ति का किसी भी परिवार व्यवस्था या विभाजन करने के लिए या संपत्ति को एचयूएफ संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए;
 - (h) रोजगार या व्यापार के लिए भारत छोड़ना या विदेश में लंबे समय तक रहना या FICCL के नियमों के अनुसार किसी भी अन्य मात्रा के साथ ऋण के साथ ब्याज को न चुकाना।
 - (i) जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया गया है उसी के लिए किसी भी व्यक्ति/बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण और / या वित्तीय सुविधा प्राप्त करना

ऋणी

सह-ऋणी

अनुच्छेद 8**डिफॉल्ट की घटनाएं**

- 8.1 निम्नलिखित घटनाओं, या घटनाओं के समान होने वाली कोई भी घटना, को डिफॉल्ट के रूप में माना जाएगा:
- (a) **गैर-भुगतान:**
ऋणी, इस समझौते अधीन किसी भी राशि, मूल राशि या ब्याज और/या ऋण का और निर्दिष्ट तरीके में, चाहे इसके अंतर्गत और/या निष्पादित या करण अनुसरण में लिखा कोई अन्य दस्तावेज की शर्तों के अनुसार और/या निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है;
- (b) **सामान्य डिफॉल्ट:**
ऋणी द्वारा इस समझौते के तहत उल्लंघन, या चूक निरीक्षण करना, या अपने दायित्वों या उपक्रमों का निरीक्षण करने में डिफॉल्ट करना, और/या ऋण या किसी भी शर्त, स्थिति, प्रावधान इस समझौता में शामिल किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी सहित के संबंध में;
- (c) **गलतबयानी:**
इस समझौते के तहत ऋणी की ओर से कोई प्रस्तुती या वारंटी या आश्वासन या प्रतिज्ञापत्र बनता है या बनाया जाना है कि बार-बार हो या कोई नोटिस, प्रमाण पत्र या स्टेटमेंट या अन्य लिखित रूप या इसके अधीन वितरित या किसी भी आर्थिक के संबंध में गलत या भ्रामक साबित होता है;
- (d) **क्रॉस डिफॉल्ट:**
ऋणी द्वारा किसी अन्य समझौते के तहत अपने दायित्व का निर्वहन में, या ऋणी और FICCL के बीच लेखन के तहत, या किसी भी अन्य समझौते तहत या ऋणी द्वारा किसी भी डिफॉल्ट के लेखन में, या किसी प्रतिज्ञापत्र, शर्त या उसके अधीन उपक्रम के प्रदर्शन में, या ऋणी द्वारा ऋणग्रस्तता नहीं दिया जा रहा है, जब देय या ऋणी का कोई भी लेनदार किसी भी वजह से ऋणग्रस्तता देय घोषित करता है और तारीख से पहले भुगतान योग्य होता है, जिस पर यह अन्यथा देय हो जाएगा या कोई गारंटी या क्षतिपूर्ति या जमानत या अन्य सहायता समझौता जो ऋणी द्वारा मांगने पर दिया नहीं जा रहा है;
- (e) **ऋण का भुगतान करने में असमर्थता:**
किसी ऋण के लिए वित्तीय कठिनाइयों या डिफॉल्ट की किसी स्थिति में, डिफॉल्ट की स्थिति में या इससे संबंधित किसी समझौते में संभावी डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणी बकाया होने पर राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता/होते या सामान्य पुनः समायोजन या पुनर्निर्धारण द्वारा अपने एक या अधिक ऋणदाताओं से सौदेबाज़ी करने लगते हैं, और/या अपने ऋणदाताओं के लाभ या संरचना के लिए एक सामान्य कार्य करता है और/या मानता है या उसे किसी देनदारी का भुगतान के लिए आदेश दिया जाता है और ऐसी देनदारी का देय होने पर भुगतान नहीं किया जाता (बशर्त कि इस उपखंड में ऋण के लिए किसी भी संदर्भ की आनाकानी में ऐसा कोई भी ऋण शामिल नहीं होगा जिसमें प्रामाणिक विवाद हो और जिसके संबंध में ऐसे ऋण के भुगतान के लिए ऋणी को किसी भी अदालत से आदेश न मिला हो);
- (f) **आज्ञप्ति राशि का गैर-भुगतान:**
ऋणी द्वारा ऋणी के खिलाफ किसी भी अदालत आदेश या डिक्री या निर्णय के तहत किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहना.
- (g) **निष्पादन या संकट की लेवी**
कोई भी निष्पादन या संकट के खिलाफ लगाया जाता है या एक ऋणभार या अन्य अधिकारी जो ऋणी कि संपत्ति, उपक्रम या जायदाद के किसी भी हिस्से या पूर्ण पर कब्जा कर लेता है, या ऋणी की संपत्ति, उपक्रम या जायदाद के किसी हिस्से या पूर्ण पर ऋणभार प्रवर्तनीय हो जाता है;
- (h) **कारोबार की समाप्ति:**
ऋणी आज की तारीख में व्यापार बंद करने या बंद करने की धमकी देता है;
- (i) **दिवालिया:**
ऋणी कोई कार्यवाही या कोई भी कानूनी कार्यवाही या कार्यवाही शुरू करता है या अन्य कदम उठाता है (i) ऋणी फैसला सुनाता या दिवालिया हो जाता है, (ii) ऋणी का निपटान या विघटन या (iii) ऋणी के लिए संस्था या इसके उपक्रम, अधिसंपत्ति और संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए एक परिसमापक, प्रशासक, न्यासी या रिसीवर या प्राप्तिकर्ता या इसी तरह के अधिकारी की नियुक्ति करता है;
- (j) **बाध्यात्मक अधिग्रहण:**
सरकार के अधिकारी या किसी अन्य संस्था द्वारा ऋणी के उपक्रम, अधिसंपत्ति या जायदाद या उसके ब्याज के पूर्ण या असल में जब्त, राष्ट्रीयकृत, स्वामित्व या अनिवार्यतः कब्जा किया जाता है;

- (k) **समर्पण:**
ऋणी इस समझौते का समर्पण करता है या यह समझौता समर्पण करने के इरादे से कोई भी कार्य या साक्ष्य का कारण बनता है;
- (l) **स्वामित्व/प्रबंधन में बदलाव:**
ऋणी स्वामित्व या के प्रबंधन में किसी भी आर्थिक का बदलाव हुआ है जो FICCL के एकमात्र राय में FICCL के ब्याज को प्रतिकूल प्रभावित करेगा।;
- (m). **आर्थिक प्रतिकूल परिवर्तन:**
कोई भी घटना या स्थिति पैदा होती है, जैसा कि और शामिल है, लेकिन किसी भी आर्थिक प्रतिकूल परिवर्तन तक सीमित नहीं FICCL द्वारा ऋणी के केवल व्यापार, वित्तीय या अन्य शर्त या संचालन या पूर्वानुमान में निर्धारित होता है, जो FICCL की एकमात्र राय में FICCL के ब्याज के प्रतिकूल है या FICCL की एकमात्र राय में ऋणी की वित्तीय स्थिति आर्थिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है या इस समझौते के तहत सभी या किसी दायित्व को पूरा करने में इसकी क्षमता के प्रभावित होने की संभावना है और/या अन्यथा ऋण के संबंध में और इस समझौते और/या ऋण के संबंध में किसी के साथ पालन करने के प्रभावित होने की संभावना है;
- (n). **सुरक्षा का मूल्यहास:**
कोई भी संपत्ति जिस पर ऋण के लिए सुरक्षा बनाई गई है मूल्य में इस सीमा तक कम होती है कि FICCL की राय में आगे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।
- (o) **संपत्ति की बिक्री/निपटान:**
यदि संपत्ति या इसका कोई भी भाग छोड़ा, पट्टे पर दिया, बेचा, निपटारा, खर्च, भारग्रस्त या अन्यथा किसी भी तरीके से विमुख करता है।

ऋणी सह-ऋणी For FICCL अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

- (p) **डिफॉल्ट की अन्य घटनाएं:**
- (i) ऋणी ऋण या किसी भी भाग का दुरुपयोग करता है, या FICCL द्वारा मंजूर ऋण या किसी भी भाग का उपयोग अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए करता है;
- (ii) इस समझौते के प्रमाण में ऋणी द्वारा आवश्यक निष्पादन, वितरण, वैधता, सूलभता, स्वीकार्यता के संबंध में सरकारी, सार्वजनिक या वैधानिक या नियामक प्राधिकरण या ऋणी द्वारा सरकारी, सार्वजनिक समिति या प्राधिकरण का पंजीकरण या घोषणा के लिए कोई सहमति, प्राधिकरण, अनुमोदन या ऐसी कोई चीज, या ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा अपने दायित्वों का प्रदर्शन FICCL के लिए अस्वीकार्य ढंग में संशोधित किया जाता है या पूरी शक्ति और प्रभाव में मंजूर या रद्द या समाप्त या नवीकृत नहीं होता;
- (iii) जब भी FICCL के पूर्ण विवेक में भुगतान नहीं की गई राशि का निर्धारण करने की संभावना होती है;
- (iv) ऋणी FICCL की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना किसी भी शुल्क, धारणाधिकार, भार और/या बंधक अधिसंपत्ति को स्थानांतरित, बेचता या निपटान करता है;
- (v) किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी संपत्ति या उसका भाग जब्त, संलग्न या कब्जे में ले लिया जाता है या किसी भी कानूनी कार्यवाही का विषय बनता है;
- (vi) ऋणी FICCL या उसके अधिकारियों, लेखा परीक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रबंधन सलाहकार, मूल्य निर्धारकों या FICCL द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा संपत्ति के निरीक्षण या सत्यापन या मूल्यांकन के लिए अनुमति देने में विफल रहता है;
- (vii) यदि ऋणी करार के नियम और शर्तों के अनुसार या और FICCL द्वारा मांग किए जाने के रूप में पोस्ट डेटेड चैक देने में विफल रहता है;
- (viii) किसी भी गारंटर द्वारा प्रदान की गई गारंटी में कोई दोष/निश्चिन्ता आती है जो देनेवाली गारंटी (जहां लागू हो) अप्रभावी/निष्क्रिय होती है;
- (ix) जहाँ ऋणी या एक से अधिक ऋणी को ऋण प्रदान किया जाता है मर जाता है;
- (x) यदि ऋणी किसी नागरिक मुकदमेबाजी या आपराधिक अपराध में शामिल है;
- (xi) ऋणी FICCL द्वारा आवश्यक कोई भी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

अनुच्छेद 9

FICCL के उपचार

- 9.1 किसी भी समय पर डिफॉल्ट की घटनाएं होने पर, पूर्वोक्त के रूप में, फिर, निहित विपरीत इस के साथ साथ के लिए कुछ होते हुए भी, FICCL अपने पूर्ण विवेक आधार पर निम्न में से कुछ भी करने का हकदार होगा:

- (i) यह घोषणा करना कि ऋण उपलब्ध कराना जारी रखने के लिए, समाप्त करने के लिए FICCL का दायित्व; और/या
- (ii) घोषणा करता है कि इस करार और ऋण के तहत सारा ऋण आयर ब्याज और सभी लागत, शुल्क, खर्च, और अन्य बकाया राशि ऋणी द्वारा FICCL को तुरंत देय और भुगतान योग्य होती है और ऋणी द्वारा यही तुरंत देय और भुगतान योग्य होती है और अन्य किसी भी आगे की सूचना या किसी भी प्रकार की अन्य कानूनी औपचारिकताओं के बिना शर्तों के अनुसार सूचना प्राप्त के 7 दिनों के भीतर ऋणी ऋण और/या करार के तहत सभी देय और भुगतान योग्य राशियों का भुगतान करेगा; और/या
- (iii) FICCL के पक्ष में तैयार सुरक्षा को लागू करना और कानून द्वारा करने के लिए अनुमति प्राप्त कोई भी अधिकार, शक्ति या उपाय को लागू करना, सूट, इक्विटी में, या कानून द्वारा कार्यवाही कर, या दोनों, या, इस समझौते में निहित किसी भी प्रतिज्ञापत्र, स्थिति या शब्द का विशिष्ट प्रदर्शन के लिए या इस समझौते की शर्तों और नियमों में से किसी के भी उल्लंघन के खिलाफ, या इस समझौता में दी गई किसी भी शक्ति या अधिकार के प्रयोग की सहायता में और/या
- (iv) यदि ऋणी नियत तारीख पर ऋण या उसके एक भाग की चुकोती में डिफॉल्ट रहता है और ऐसी डिफॉल्ट पंद्रह (15) दिनों की अवधि तक जारी रहता है, तो FICCL को ऋणी को सात (7) दिन के लिखित नोटिस पर करार के तहत सभी ब्याज, लागत, शुल्क, खर्च और किसी अन्य राशि के बकाया सहित पूरे ऋण को वापिस लेने का अधिकार होगा। यदि ऋणी FICCL को बकाया राशि चुकाने में विफल रहता है, तो FICCL ऋणी के जोखिम और लागत पर ऋणी की संपत्ति को निपटाने के लिए पुरी तरह आवश्यक कदम लेगा और प्रभावित कार्यवाही करेगा। यह FICCL के लिए कानूनन मान्य होगा कि वह आगे या बाद में ऋणी को बताए बिना संपत्ति पर प्रवेश करने और कब्जा या रिकवर करने या इसी कि प्राप्त करे और यदि आवश्यक को तो वहां प्राप्त किसी वस्तु को तोड़ने या किसी टेल को खोलने का अधिकार होगा और FICCL अपनी ओर से दी गई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है या FICCL के अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत और प्रभावी कर सकता है ऋणी संपत्ति को लाइसेंस या पत्ते पर दे सकता है जैसे कि FICCL अपने विवेकआधार पर ऋणी की लागत पर संपत्ति को जनतक नीलामी या निजी अनुबंध या अन्य ढंग से बेच सकता है या बाध्य हुए बिना बेचने के लिए अनुबंध में परिवर्तन कर सकता है या मूल्य की हानि या कमी के लिए ऊत्तरयोग्य या यहां दी हुई किसी भी शक्ति का उपयोग करने पर या इस तरह की शक्ति का उपयोग करने पर कोई नुकसान होने पर और प्रभावी रसीद देने पर और खरीद पैसे को छोड़ने पर और इस तरह के कार्य और अन्य अकरी कर सकता है जिसे FICCL या प्राप्तकर्ता बेचने के लिए उचित समझें। ऋणी FICCL द्वारा किए गए किसी भी बिक्री या अन्य स्थिति की नियमितता के लिए कोई आपत्ति नहीं करेगा और न ही FICCL को या FICCL द्वारा नियोजित किसी भी दलाल या नीलामकर्ता या अन्य व्यक्ति या निकाय के किसी भी कार्य या डिफॉल्ट से उत्पन्न नुकसान के लिए या बिक्री या स्थिति के प्रयोजन के लिए रिसीवर को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। यदि इस तरह की बिक्री के द्वारा प्राप्त शुद्ध योग सुरक्षित राशि का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है, तो FICCL को FICCL के पास पैसे या पैसों या इनमें से किसी के क्रेडिट या ऋणी से असंबंधित या संतुलन के भुगतान की दिशा में स्वतंत्र होगा और यदि कोई कमी रहती है तो ऋणी इसका भुगतान करेगा इससे ऋणी के खिलाफ FICCL के अधिकार या उपचार प्रभावित नहीं होगा।
- (v) FICCL की पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद FICCL के पास उपलब्ध अधिशेष होने की स्थिति में, FICCL के लिए ऋणी से संबंधित किसी अन्य राशि सहित इस अधिशेष राशि को FICCL द्वारा या किसी खाते में संभालना और उपयोग करना कानूनी होगा जब तक यह राशि उस राशि तक बढ़ न जाए जो ऋणी द्वारा ऋण, कटौती सहित बिल, क्रेडिट के पत्र, गारंटी, शुल्क या बिल, नोट्स, क्रेडिट सहित ऋण या दायित्व जो अभी नहीं हैं परन्तु भविष्य में देय हो सकते हैं, जो ऋणी के लिए FICCL को देय हो सकते हैं या किसी स्वीकृत मामले में कानून द्वारा समाप्त करने के लिए हो सकते हैं, के लिए स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के साथ, या कंपनी FICCL के प्रति बकाया न बन जाए या बनने के संभावी न हो जाए।

ऋणी सह-ऋणी FICCL के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुच्छेद 10

क्रॉस संपाशिवक

ऋणी स्वीकार करता है, इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा ऋण चुकोती की स्थिति में, लेकिन ऋणी द्वारा FICCL से लाभ के अधीन कोई भी बकाया किसी भी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में FICCL इस समझौते तहत ऋणी द्वारा बनाई गई प्रतिभूति को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा और ऋणी इस तरह के बकाया वित्तीय सुविधा को कवर करने के लिए प्रतिभूति का विस्तार करने के लिए FICCL को अधिकृत करता है। इसी तरह, इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा बकाया होने की स्थिति में, FICCL इस समझौते तहत ऋणी द्वारा बनाई गई प्रतिभूति को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसमें ऋणी ने FICCL से अन्य वित्तीय सुविधा ली हो और ऋणी इस समझौते के तहत बकाया को कवर करने के लिए प्रतिभूति का विस्तार करने देगा।

अनुच्छेद 11

समझौते का पुनर्जीवन

यदि FICCL बंधक अधिसंपत्ति को रखता है, ऋणी FICCL को समझौता को पुनर्जीवित करने और बंधक अधिसंपत्ति को पुनर्वितरण के लिए आवेदन करने का अनुरोध कर सकते हैं, जहां ऐसी स्थिति में इस तरह के अनुरोध पर FICCL अपने विवेकआधार के अनुसार विचार करेगा और इस तरह के नियम और शर्त जो परिस्थितियों में फिट और उचित हों और केवल अतिरिक्त ब्याज, कानूनी और अन्य लागत, कब्जे का खर्च और जैसे सहित पूर्ण में किशतों के मिलने के बाद। समझौता पुनर्जीवित न करने के लिए FICCL द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा और इसे कानून की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद 12

गौण ऋण

ऋणी एतद्वारा सहमत, घोषणा, पुष्टि और वचन देता है कि अपने समूह की कंपनियों/एसोसिएट्स/निदेशकों, भागीदारों, और/या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों या उनमें से किसी को भी दिए सभी ऋण, अग्रिम, और अन्य पैसा को यहां दिए गए ऋण की तुलना में इस ऋण को गौण ऋण माना जाएगा। ऋणी आगे घोषणा करता और वचन देता है कि ऋणी इस तरह के ऋण और अग्रिम को पूर्ण या भाग में नहीं चुकाएगा या कोई ब्याज नहीं देगा, जब तक कि ऋण और/या इस समझौते के अनुसरण में FICCL को पूरे बकाया का पूर्ण में भुगतान नहीं हो जाता है।

अनुच्छेद 13

ऋणी द्वारा FICCL की खातों की स्टेटमेंट स्वीकार करना

ऋणी सहमत है कि FICCL द्वारा दावे के रूप में ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा देय किसी भी राशि की शुद्धता, FICCL की किताबों से बाहर खाते की स्टेटमेंट, कोई भी वाउचर, दस्तावेजों या बिना अन्य कागजात के उत्पादन समर्थन के रूप में निर्णायक सबूत स्वीकार करेगा। यहां दिया कुछ भी FICCL के हित या अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा अगर ब्याज गणना में किसी लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि होती है और ऋणी द्वारा देय होता है। ब्याज के बारे में कोई भी विवाद ऋणी को FICCL को देय ईएमआई रोकने के लिए हकदार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 14

कारण और धारणाधिकार

- 14.1 FICCL के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, FICCL के पास एक परम धारणाधिकार और FICCL में ऋणी के किसी भी खाते में ऋण का पूरा धन निर्धारित करने का अधिकार होगा; और ऋणी FICCL को FICCL में ऋणी के खाते को डेबिट करने या FICCL में ऋणी के किसी खाते में इस समझौते के तहत या FICCL में दर्ज किसी अन्य समझौते के तहत मूल या ब्याज या FICCL के लिए देय या बकाया किसी राशि के हकदार होने पर उसके खाते में क्रेडिट करने के लिए अधिकृत करता है।
- 14.2 यहाँ निहित कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाएगा या किसी सामान्य या विशेष धारणाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या उस निर्धारण के लिए अधिकृत नहीं होगा जिसके लिए FICCL अधिकृत है या कानून द्वारा या अन्यथा या वर्तमान या भविष्य की सुरक्षा, गारंटी, ऋणी के दायित्वों सहित FICCL के अधिकारों और उपायों का हकदार हो सकता है।
- 14.3 ऋणी इससे भी सहमत होता है कि इसके अलावा और FICCL के किसी अन्य अधिकार या गृहणाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, FICCL किसी भी समय और FICCL में ऋणी के सभी या कुछ खातों और सभी ऋणों और देयधन (फिक्स्ड डिपॉजिट सहित) को ऋणी को सूचित किए बिना संयुक्त और संचित करने और ऋणी के किसी खाते पर FICCL को देय राशि को निर्धारित या ट्रांसफर करने का हकदार होगा चाहे ये देय राशियां वास्तविक या अनिश्चित, प्राथमिक या अतिरिक्त और चाहे संयुक्त या विभिन्न हो।

अनुच्छेद 15

क्षतिपूर्ति

ऋणी, FICCL के किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, FICCL, को उसके द्वारा की गई किसी चूक, नुकसान या अवधि बीत जाने और अयोग कृत्यों या ऋण और/या संपत्ति और/या इन शर्तों के कारण होने वाले नुकसान, लागत, शुल्क या खर्च या व्यय के लिए FICCL को भुगतान और प्रतिपूर्ति करेगा और FICCL को किसी भी प्रकार से जिम्मेदार न ठहराते हुए उसे क्षतिपूर्ति करने और करने रहने के लिए सहमत है।

अनुच्छेद 16

निर्धारण/पोर्टफोलियो का स्थानांतरण/प्रतिभूतिकरण

ऋणी स्पष्ट रूप से समझता और स्वीकार करता है कि FICCL इसके द्वारा निश्चित शर्तों (खरीददार, असाइनी, ट्रांसफरी की ओर से FICCL द्वारा ऋणी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी शक्ति बनाए रखने का अधिकार आरक्षित FICCL द्वारा उचित समझने सहित) अनुसार ऋणी के क्ल या कुछ बकाया और देय को ऋणी को सन्दर्भ या जानकारी या सूचना दिए बिना और ऋणी की सहमती की आशा किए बिना FICCL द्वारा चयनित तीसरे पक्ष को पूरे या कुछ मात्रा में बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने के लिए पूरी तरह हकदार होता है और शक्ति और अधिकार रखता है। ऐसी कोई भी कार्यवाही और बिक्री, काम या हस्तांतरण को लेनदार, FICCL या किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक संयुक्त लेनदार के रूप में विशेष रूप से तीसरे पक्ष को स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगी, जैसा भी मामला हो। इस संबंध में कोई भी लागत, जो बिक्री, काम या हस्तांतरण या अधिकारों को प्रभावशाली करने पर और बकाया राशि और देय की वसूली, ऋणी के खाते में होगी। ऋणी FICCL की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस समझौते या अधिकारों, कर्तव्यों या इसके अंतर्गत ऋणी के दायित्वों को किसी को भी प्रदान नहीं करेगा।

ऋणी

सह-ऋणी

FICCL के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुच्छेद 17**सेवा प्रदाता**

ऋणी सहमती देता है कि FICCL के किसी भी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋण और इसके उपयोग की निगरानी और/या ऋणी के कर्तव्य और/या शर्तों के प्रति ऋणी के अनुपालन आयर/या FICCL के पूरी राशि या उसके एक हिस्से की वसूली करने के लिए सभी कृत्य/कदम ऐसे अन्य व्यक्ति (एक कंपनी या निगमित निकाय सहित) द्वारा या उसके माध्यम से करवाए जाएंगे/जा सकते हैं जो समय-समय पर FICCL द्वारा नियुक्त किया जाता है और FICCL समय-समय पर मई उसके संबंध में और FICCL उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से सभी ऋणी और/या ऋण से संबंधित दस्तावेज़, खातों की स्टेटमेंट और कोई भी अन्य जानकारी साँझा करने का हकदार होता है। इसके अलावा, ऋणी स्पष्ट रूप से समझता और स्वीकार करता है कि FICCL, ऐसी गतिविधियाँ करने के अधिकार पर स्वयं द्वारा या अपने अधिकारियों या सेवकों के माध्यम से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना FICCL के चयन अनुसार एक या अधिक तीसरे पक्ष नियुक्त करने और ऐसे तीसरे पक्षों को ट्रांसफर और कार्यभार सौंपने के लिए और FICCL की ओर से बकाया राशियों को इकट्ठा करने और ऋणी के कार्यालय या निवास सहित सभी कृत्यों, कारोबार, मामलों और चीजों को लागू करने, देय राशि प्राप्त करने, और ऐसे उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उचित माने जाने वाले कृत्य करने का पूरा हकदार और अधिकृत होगा।

अनुच्छेद 18**समापन**

इसके विपरीत इस समझौते में समाहित करने के लिए कुछ होते हुए भी, FICCL किसी भी समय अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक के आधार पर, कोई भी देनदारी के बिना और किसी भी दायित्व के बिना कोई भी कारण दिए बिना ऋण या इसके किसी भी भाग को समाप्त, रद्द या वापिस ले सकता है जो भी हो, सब मूल पैसा, ब्याज और अन्य सभी लागत, शुल्क खर्च और बकाया अन्य पैसा FICCL की मांग पर FICCL को देय और भुगतान योग्य होगा।

अनुच्छेद 19**जानकारी का खुलासा**

- 19.1 (i) ऋणी ऋणी के दायित्वों के निर्वहन में, जैसा FICCL भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") और/या क्रेडिट जानकारी ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निमित्त अधिकृत किसी अन्य एजेंसी, FICCL के पेशेवर सलाहकारों और सलाहकार, FICCL की सहयोगी/सहायक कंपनियों को और अपनी सेवा प्रदाताओं, तीसरे पक्ष या अन्य को अदालत के आदेश पर या वैधानिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी जिनके साथ यह प्रथानुसार अनुपालन में होता है, के लिए ऋणी, ऋण, ऋणी के खाते और इस समझौते से संबंधित पूरी या कुछ जानकारी के प्रकटीकरण से सहमत होता है, स्वीकार करता है और सहमती देता है, जिसमें ऋणी द्वारा किया कोई डिफॉल्ट शामिल होता है, यदि कोई हो, इसके द्वारा इस समझौते और/या ऋण और/या कानून या किसी लागू विनियमन के संबंध में प्रकट करने और पेश करने के लिए उचित समझे।
- (ii) ऋणी घोषणा करता है कि FICCL को दी गई और दी जाने वाली जानकारी और डेटा सत्य और सही है और तो सीधे या अन्यथा कोई भी गलत बयानी नहीं की गई है। FICCL ऋणी की ओर से कोई त्रुटि या गलत बयानी की स्थिति में उचित समझने पर इस तरह की कार्यवाही करने का हकदार होगा। ऋणी FICCL को समय समय पर आवश्यकता के रूप में इस तरह की अन्य वित्तीय जानकारी FICCL को प्रदान करेगा।
- (iii) ऋणी:
- स्वीकार करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और कोई भी अन्य सांविधिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी या एजेंसी जो अधिकृत है, FICCL द्वारा खुलासा की गई जानकारी और डेटा का उपयोग, संशोधित, प्रसार कर सकते हैं उनके द्वारा किसी विशेष परिस्थितियों में फिट समझा जाने के रूप में; और
 - इस संबंध में FICCL को पूर्ण जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं बनाएगा;
 - FICCL को अधिकृत करता है, कि यदि ऋणी समझौते के तहत कोई भी डिफॉल्ट करता है तो FICCL किसी भी अन्य अधिकार का उपयोग कर सकता है, FICCL ऋणी को बताए बिना भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, या कानून की अदालत, को ऋणी के नाम और ऋणी द्वारा डिफॉल्ट होने के तथ्य का खुलासा करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 20**सुरक्षा**

ऋणी सहमत है कि यह समझौता, और इसके द्वारा ऋण के लिए और पर, बनाई या बाद में बनाई गई कोई भी प्रतिभूति, ऋण के संबंध में ऋणी के खाते में क्रेडिट बैलेंस या किसी भी आंशिक भुगतान या खातों की अस्थिरता के अस्तित्व के बावजूद ऋणी के सभी दायित्वों के लिए एक सतत प्रतिभूति के रूप में काम करेगी।

अनुच्छेद 21 विविध

21.1 नोटिस:

इस समझौते के तहत प्रत्येक नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार:

- लिखित रूप में, हाथ द्वारा, कूरियर या पंजीकृत डाक, देय रसीद द्वारा पहुँचाया जाएगा;
- हाथ द्वारा पहुँचाए जाने के समय प्राप्त किया जाना माना जाएगा, यदि प्राप्तकर्ता के लिए व्यापारिक दिन पर व्यापारिक घंटों में पहुँचाया जाए, और यदि पंजीकृत देय पोस्ट डाक द्वारा दी जाए, तो इससे 48 घंटे बाद इसे डाक द्वारा भेज दिया जाएगा; और
- ऋणी के उल्लेखित पते पर या FICCL के शाखा कार्यालय के उल्लेखित पते पर या ऐसे अन्य पते पर बेजा जाएगा जैसे एक पक्ष एक अन्य पक्ष को सूचित कर देगा। ऋणी अपने पते में किसी भी बदलाव के एक सप्ताह के भीतर इस बदलाव के बारे में लेखन में FICCL को सूचित करेगा।

21.2 लाभ:

इस समझौते के नियम और प्रावधान बाध्यकारी होंगे, और लाभ ऋणी के उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त नियुक्त व्यक्तियों और FICCL के उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त नियुक्त व्यक्तियों को मिलेगा

ऋणी (यदि व्यक्तिगत या स्वामित्व फर्म हो) या ऋणी से संबंधित किसी भी (यदि एक से अधिक व्यक्ति) व्यक्ति (यदि कोई व्यक्ति हो) की मृत्यु की स्थिति में यदि या जब तक ऋणी के मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि (i) मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अपने नाम पर स्थानांतरित बंधक संपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करता है, (ii) कानूनी प्रतिनिधि द्वारा पोस्ट डेटेड चुकौती चैक से FICCL में पड़े कैश करवाए हुए कई चैक्स को बदलता है और (iii) FICCL द्वारा आवश्यकता अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है और उन्हें लागू करता है, ऐसा कानूनी प्रतिनिधि इस समझौते का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा; हालांकि दिया गया है, कि FICCL को ऋणी द्वारा इस खंड में उल्लेखित आवश्यकताओं और शर्तों को निभाने और उनका अनुपालन करने पर भी उसके कानूनी प्रतिनिधि को इस समझौते का लाभ देने का पूर्ण विवेक होगा।

ऋणी

सह-ऋणी

FICCL के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

21.3 छूट:

इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा हुए किसी भी उल्लंघन या डिफॉल्ट होने पर FICCL के अधिकार, शक्ति या उपचार करने में कोई देरी या भूल FICCL के अधिकार, शक्ति या उपचार को भंग नहीं करेगी और न ही किसी उल्लंघन या डिफॉल्ट या सहमती का वेवर होने के लिए अनुमानित नहीं होगा और न ही एक उल्लंघन या डिफॉल्ट को छूट किसी अन्य उल्लंघन या डिफॉल्ट या बाद में होने वाले उल्लंघन या डिफॉल्ट का वेवर नहीं होगा। इस समझौते के तहत या इस समझौते के किसी प्रावधान या शर्त के तहत हुए किसी भी उल्लंघन या चूक के संबंध में FICCL के +भाग की ओर से छूट, अनुमति, सहमति या अनुमोदन लिखित रूप में होगा और इस तरह के लेखन के लिए विशेष तौर पर प्रभावकारी होगा।

21.4 FICCL के लिए सभी उपचार, या तो इस समझौते के तहत या कानून द्वारा या अन्यथा देना संचयी होगा और न की वैकल्पिक।

21.5 संशोधन:

यहां किसी भी शब्द या प्रावधान में कोई संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि लिखित रूप में न हो और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न किया हो।

21.6 आंशिक अमान्यता:

यदि इस समझौते का कोई भी प्रावधान किसी भी समय किसी भी संबंध में अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो इस समझौते के शेष प्रावधानों की न तो वैधता, मान्यता और न ही प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या खराब नहीं होगी, और पार्टियों आगे सहमत होती हैं कि वे अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय, कानूनी प्रावधानों को इस समझौते की मूल मंशा को प्रभाव देंगे।

21.7 अधिभावी प्रभाव:

यह समझौता और यहां संलग्न या यहां संदर्भित कोई भी अन्य दस्तावेज, यहां उल्लेखित या आकस्मिक सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करता है, और विषय के संबंध में सभी मौखिक वार्ता और पूर्व लेखन, इस समझौते के पहले जारी स्वीकृति पत्र के उन प्रावधानों को छोड़कर, जो अतिरिक्त हैं और पूरक हैं, और इस समझौते के नियमों के साथ टकराव में नहीं हैं। इस समझौते की नियम, शर्तों और प्रावधानों और किसी भी समझौते या यहां जुड़े दस्तावेज या यहां संदर्भित के बीच कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में, इस समझौते के नियम, शर्त और प्रावधान प्रबल होंगे।

21.8 लागत:

ऋणी द्वारा FICCL द्वारा इस समझौते के शीर्षक और तैयारी, प्रारूपण और अंतिम रूप देने की जांच के सिलसिले में सारी लागत(स्टांप शुल्क सहित), शुल्क, और खर्च के लिए FICCL को वहन, भुगतान, प्रतिपूर्ति करेगा, और अन्य सभी दस्तावेज और सभी कीमतें, शुल्क या खर्च जिन्हें FICCL निरंतर तौर पर प्रमाणित करेगा, या FICCL के कानूनी सलाहकारों और अपनाए गए कानूनी साधनों की सभी कीमतों, शुल्कों और खर्चों सहित डिफॉल्ट की स्थितियों के परिणामस्वरूप इसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऐसे सारी राशि जो FICCL की मांग पर सूचना की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर FICCL को ऋणी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और ऋण खाते में डेबिट किया जाएगा और प्रतिपूर्ति तक भुगतान की तारीख से ऋण पर देय ब्याज दर ली जाएगी।

21.9 वापसी या बैंक रहित चेक:

ऋण की परिपक्वता या ऋण के पूर्व भुगतान से ऋण का पूरा होने पर, ऋणी का FICCL के साथ बैंकरहित/अप्रयुक्त चेक की वापसी का कोई अनुरोध होता है, तो उसे ऋण के बंद/पूर्व भुगतान होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों के भीतर ऋणी द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर FICCL को बैंकरहित/ अप्रयुक्त चेक की वापसी के लिए इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो ऋणी को किसी भी आगे की सूचना दिए बिना FICCL द्वारा बैंकरहित/अप्रयुक्त चेक रद्द और नष्ट कर दिया जाएगा।

21.10 कानून:

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन, द्वारा नियंत्रित और अनुसार लागू होगा।

21.11 मध्यस्थता/क्षेत्राधिकार:

इस समझौते के संबंध में उत्पन्न सभी विवाद, मतभेद और/या दावे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा हल किए जाएंगे या किसी वैधानिक संशोधन द्वारा और मध्यस्थता करने के लिए FICCL द्वारा मनोनीत/नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ भेजा जाएगा। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तिय की मौत, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में FICCL एक और व्यक्ति को एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वह निर्णय जिसमें मध्यस्थ का अंतरिम निर्णय भी शामिल होगा वह अंतिम और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समय-समय पर बता सकता है और इस तरह के तरीके में मध्यस्थता की कार्यवाही का संचालन करेगा, जिसे वह उचित समझता है। ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित स्थान पर मध्यस्थता कार्यवाही का आयोजन किया जाएगा। यहाँ निहित विवाचन खंड के अधीन रहते हुए, ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित स्थान पर सक्षम अदालत को इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या कानूनी कार्यवाही पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

21.12 समझौते के फार्म भाग के लिए अनुसूचियां:

यहाँ संलग्न ऋण सारांश अनुसूचियां और अन्य अनुसूचियां या करार के अनुसार इस करार का भाग है जैसा कि यहाँ विस्तृत रूप में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

21.13 सीमांत नोट और हेड नोट:

सीमांत नोट और हेड नोट केवल सुविधा और संदर्भ के उद्देश्य के लिए हैं।

21.14 स्वीकृति:

मैं/हमने इस पुरे करार को पढ़ लिया है जो मेरी उपस्थिति में भरा गया था। मैं/हम ऋण सारांश अनुसूची में विवरण सहित सभी शर्तों के लिये बाध्य होगा उक्त अनुसार समझौता और अन्य दस्तावेज ऋणी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऋणी को समझाए गए हैं और ऋणी विभिन्न धाराओं के पूरे अर्थ समझ गया है और इस समझौते की धारणा की पुष्टि करने और समझने के बाद मेरे/हमारे हस्ताक्षर किए हैं।

मैं/हम इससे सहमत हैं कि यह समझौता अंतिम और कानूनी तौर पर उस तारीख और स्थान पर बाध्यकारी होगा जब FICCL का अधिकृत अधिकारी इस समझौता पर हस्ताक्षर करता है।

साक्षी में जिसका, पार्टियों ने यहां पहले लिखे गए दिन, महीने, वर्ष पर प्रस्तुत को निष्पादित किया है।

ऋणी

सह-ऋणी

FICCL के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

For ऋणीs		
हस्ताक्षरकर्ता का नाम: श्रीमान निलया सिंह]]]]]].....	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम :]] (हस्ताक्षर)	
सह-ऋणी का नाम: श्रीमती नीलिमा हूँ सिंह]]]]]].....	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम :]] (हस्ताक्षर)	
फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए]].....	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:.....]] (हस्ताक्षर)	

ऋणी

सह-ऋणी

FICCL के लिए
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ऋण करार
के लिए

ऋण सारांश अनुसूची

यह अनुसूची इस के साथ ही संलग्न समझी जाएगी और ऋणी और फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") के बीच हुए ऋण करार दिनांकित.....का एक अभिन्न अंग होगी और इसे ऋण करार के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाएगा।

क्रमांक	ब्यौरा	विवरण
	ऋण संदर्भ / खाता संख्या.	81414150000028
1.	ऋणी का नाम ऋणी का पता स्थिति	श्रीमान निलया सिंह गाएगुड्डी, पेराकानी पालायाम, वेल्लाकोविल, तिरुपुर, तमिलनाडु-637105 व्यक्तिगत / स्वामित्व फर्म/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/ भागीदारी फर्म / एलएलपी/ सोसायटी / एचयुएफ / ट्रस्ट
2.	सह-ऋणी का नाम सह-ऋणी का पता स्थिति	श्रीमती नीलिमा हूँ सिंह व्यक्तिगत / स्वामित्व फर्म/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/ भागीदारी फर्म / एलएलपी/ सोसायटी / एचयुएफ / ट्रस्ट
3.	FICCL शाखा कार्यलय	8141 8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil
4.	ऋण का उद्देश्य	<input type="checkbox"/> शिक्षा / शादी / चिकित्सा आदि के लिए व्यक्तिगत ऋण <input type="checkbox"/> कार्यशील पूंजी के लिए व्यापारिक ऋण

			<input type="checkbox"/> उपकरण / मशीनरी आदि की खरीद <input type="checkbox"/> मकान/दुकान/कार्यालय का निर्माण/सुधार/विस्तार। <input type="checkbox"/> मौजूदा ऋण की चुकौती <input type="checkbox"/> दुकान / कार्यालय / घर / भूमि की खरीद <input type="checkbox"/> अन्य									
5.	ऋण की मंजूर हुई राशि	:	50,000.00/- (केवल पचास हजार रुपए) रुपए से कम									
6.	चयनित ब्याज दर	:	<input type="checkbox"/> ब्याज की निश्चित दर <input type="checkbox"/> ब्याज की अस्थिर दर									
7.	ब्याज दर		ब्याज की निश्चित दर के मामले में लागू: मासिक शेष के साथ% प्रति वर्ष की दर से गणना होगी। ब्याज की अस्थिर दर के मामले में लागू: रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट [____%] प्लस / ऋण प्रसार [____%] मासिक आधार अनुसार की गई गणना। वर्तमान में लागू ब्याज दर 21.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ब्याज दर संशोधन चक्र: 3 महीने। (ब्याज दर करार की शर्तों के अनुसार भिन्नता के अधीन है।)									
8.	ऋण की अवधि	:	12									
9.	चुकोती अनुसूची											
	देय किश्तों की संख्या:		12									
	चुकोती आवृत्ति											
	किश्त की मात्रा ("ईएमआई")		4,660.00/- रुपए महीना									
	पहली किश्त के प्रारंभ होने की तिथि:		29-04-2016									
	अंतिम किस्त की नियत तिथि:		24-03-2017									
	प्रत्येक किश्त की नियत तिथि											
10.	पूर्व बराबर मासिक किस्त ब्याज (पीईएमआईआई)	:										
	पीईएमआईआई की संख्या	:										
	प्रत्येक पीईएमआईआई की मात्रा	:										
11.	अग्रिम किस्त का विवरण	:										
	अग्रिम किस्त की संख्या											
	अग्रिम किस्त की राशि											
	अग्रिम किस्त का समायोजन		<table border="1"> <thead> <tr> <th>किश्त संख्या</th> <th>नियत तिथि</th> <th>समायोजित तिथि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	किश्त संख्या	नियत तिथि	समायोजित तिथि						
किश्त संख्या	नियत तिथि	समायोजित तिथि										
	भुगतान का ढंग		[] पीडीसी [] ईसीएस [] एसआई [] ईसीए और पीडीसी [] अन्य									
13.	प्रवेश फ़ीस	:	...रुपए से कम राशि									
14.	प्रलेखन शुल्क / शुल्क	:	...रुपए से कम राशि									
15.	ऋण प्रोसेसिंग शुल्क / शुल्क	:	मंजूर किए गए ऋण की राशि के तीन (3) प्रतिशत से कम									
16.	ब्याज रूपांतरण शुल्क की दर	:	मंजूर किए गए ऋण की राशि के एक (1) प्रतिशत से कम									
17.	ऋण रद्द शुल्क	:	1500/- रुपये से कम राशि यदि ऋण संवितरण के बाद लेकिन ऋण संवितरण बैंक के नकदीकरण से पहले ऋणी के अनुरोध पर ऋण रद्द कर दिया गया है। यदि ऋण राशि के नकदीकरण के बाद ऋण रद्द करने का अनुरोध किया जाता है तो, यहाँ निर्दिष्ट पूर्व भुगतान की स्थिति लागू नहीं होगी।									
18.	विलंबित भुगतान ब्याज	:	लागू ब्याज दर के चार (4) फीसदी से कम राशि।									
19.	पूर्व भुगतान शुल्क	:	1) जब तक ऋणी ने पहले छह (6) ईएमआई का पूरी तरह से भुगतान									

			<p>नहीं किया है तब तक ऋण के किसी हिस्से के लिए पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>2) एक निश्चित वित्तीय वर्ष में बकाया ऋण राशि के अधिकतम 25% के हिस्सा-पूर्व भुगतान के लिए कोई हिस्सा पूर्व भुगतान लागू नहीं होगा।</p> <p>3) पहले छह (6) ईएमआई के भुगतान के बाद, लेकिन पहले बारह (12) ईएमआई के भुगतान से पहले ऋण के हिस्से पूर्व भुगतान के मामले में, पूर्व भुगतान की तारीख को प्रमुख ऋण की बकाया राशि के 4% की दर से पूर्व भुगतान शुल्क लगेगा;</p> <p>4) बकाया ऋण राशि का पच्चीस (25) प्रतिशत से अधिक का हिस्सा पूर्व भुगतान या ऋण का पूरा पूर्व भुगतान करने पर प्री-पेमेंट शुल्क लगेगा:</p> <p>* पहले बारह (12) ईएमआई के भुगतान के बाद और पहली चौबीस (24) ईएमआई के भुगतान तक: मूल ऋण के पूर्व भुगतान की तारीख को बकाया राशि का 4%;</p> <p>* पहले चौबीस (24) ईएमआई के भुगतान के बाद और पहली साठ (60) ईएमआई के भुगतान तक: मूल ऋण के पूर्व भुगतान की तारीख को बकाया राशि का 3%;</p> <p>* पहले साठ (60) ईएमआई के भुगतान के बाद और पहली चौरासी (84) ईएमआई के भुगतान तक: मूल ऋण के पूर्व भुगतान की तारीख को बकाया राशि का 2%;</p> <p>* पहली चौरासी (84) ईएमआई के बाद के भुगतान के लिए शून्य शुल्क। या ऐसी अन्य राशि के रूप में जो समय-समय पर FICCL द्वारा निर्दिष्ट हो।</p>
20	कर और लेवी	:	ऊपर दिए गए या ऋण करार में कहीं भी दिए गए सभी शुल्क सभी करों और सांविधिक लेवी के बिना हैं सीमा सेवा कर और उपकर के बिना अनन्य सहित पर लागू हो सकता है।
21	मध्यस्थता की जगह	:	चेन्नई
22	अदालत का क्षेत्राधिकार	:	ऋण करार में विवाचन खंड के अधीन रहते हुए, _____ पर सक्षम अदालत का इस करार की किसी भी बात या बाहर या संबंध में उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। हालांकि यह किसी अन्य कानून न्यायालय या सक्षम न्यायालय की ट्रिब्यूनल में फाइल/कार्यवाही लेने के लिए ऋणदाता के अधिकारों को सीमित नहीं करेगा।
23.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	:	

ऋणी

सह-ऋणी

FICCL के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ऋणी के लिए

ऋणी का नाम:

श्रीमान निलया सिंह

.....X
(हस्ताक्षर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:.....

सह-ऋणी का नाम:

श्रीमती नीलिमा हँ सिंह

.....X
(हस्ताक्षर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

.....X
(हस्ताक्षर)

ऋणी

FICCL के लिए
सह-ऋणी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मांग वचनपत्र

तिथि: _____

स्थान: _____

मांग पर, मैं/हम श्रीमान निलया सिंह..... श्रीमान निलया सिंहसंयुक्त और पृथक और बिना शर्त फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स तीसरी मंजिल, पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पूनमअल्ली हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई-600095, तमिलनाडु है को .50,000.00/- रूपए (केवल पचास हजार रूपए) की राशि भुगतान करने के लिए वादा करते हैं, या 21.00% सालाना की ब्याज दर से प्राप्त मूल्य के लिए मासिक आधार की गणना के साथ देने का आदेश देते हैं। भुगतान और टिप्पणी-लेखन और टिप्पणी के विरोध के लिए प्रस्तुतीकरण एतद् द्वारा बिना शर्त और पूरी तरह माफ कर रहे हैं। जहां एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हैं तो प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का दायित्व संयुक्त और विविध होगा।

ऋणी का नाम: श्रीमान निलया सिंह

यहां 1/- रूपए की
रसीदी टिकट
लगाएं(x)
ऋणी

सह-ऋणी का नाम: श्रीमती नीलिमा हँ सिंह

यहां 1/- रूपए की
रसीदी टिकट
लगाएं(x)
ऋणी

(नोट-(x) हस्ताक्षर रसीदी टिकट की चौड़ाई के अनुसार होना चाहिए)

ऋणी

सह-ऋणी

FICCL के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा ऋण वितरण के लिए आवेदन फार्म

तिथि: []

सेवा में

फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

8141

8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil

विषय: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा ऋण वितरण

सन्दर्भ: ऋण आवेदन सन्दर्भ संख्या: [81410000016774]

ऋण खाता संख्या: [81414150000028]

प्रिय महोदय,

मेरे/हमारे ऋण आवेदन के संदर्भ में, मैं/हम बिना शर्त फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") को _____/- (रूपए _____केवल) की स्वीकृत ऋण राशि की सीधी छूट देने का निर्देश देता हूँ (पूर्व ईएमआई ब्याज, दस्तावेजों के शुल्क और निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती के बाद:-

लाभार्थी का विवरण

लाभार्थी का बैंक नाम	:	
लाभार्थी का बैंक खाता नाम	:	
लाभार्थी का बैंक खाता #	:	
लाभार्थी का बैंक खाता प्रकार	:	<input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> चालू <input type="checkbox"/> नकद क्रेडिट
लाभार्थी का बैंक भुगतान योग्य स्थान	:	
लाभार्थी का बैंक शाखा आईएफएससी कोड	:	
एमआईसीआर कोड	:	
प्रेषित राशि	:	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि:

- ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे सबसे अच्छे ज्ञान के अनुसार सच, सही और पूर्ण हैं। मैं/हम भुगतान अनुदेश में दिए गए विवरण की सटीकता के लिए जिम्मेदार होंगे।
- अगर FICCL इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए अच्छे विश्वास और अनुपालन में भुगतान के निर्देश में अनुदेश निष्पादित करता है, तो मैं/हम, FICCL द्वारा निष्पादित किसी भी भुगतान के निर्देश से बाध्य होंगे।
- उक्त दिए गए लाभार्थी के पक्ष में ऋण का संवितरण मेरे/हमारे द्वारा ऋण दिया और लाभ उठाया समझा। उक्त दिए गए लाभार्थी आदाता के पक्ष में ऋण का संवितरण ऋण सुविधा के संबंध में मेरे/हमारे दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।
- फुलरटन इंडिया अधूरी जानकारी, प्रसारण में देरी, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के वितरण या गैर वितरण या किसी भी गलती, प्रसारण में चूक या त्रुटि या वितरण या नियंत्रण से बाहर किसी भी कार्य या घटना के से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऊपर उल्लेखित होते हुए भी, फंड ट्रांसफर में देरी होने या FICCL की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण भुगतान के निर्देश अनुसार फंड ट्रांसफर करने में त्रुटि के कारण किसी हानि की स्थिति में, भुगतान में देरी की स्थिति में FICCL का दायित्व देरी की अवधि तक बैंक दर से ब्याज के भुगतान की हद तक सीमित होगा।
- FICCL इस आवेदन फार्म में मेरे/हमारे द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण गलत लाभार्थी को गैर क्रेडिट या प्रेषण राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- लाभार्थी बैंक आवक विप्रेषण पर खर्च लेवी और उसी को ही प्रेषित राशि से घटा सकते हैं।

मैं समझता हूँ कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ('एनईएफटी') निर्देश अटल हैं और एनईएफटी के माध्यम से भेजे जाने वाले धन के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश देने के लिए कोई सुविधा नहीं है।

धन्यवाद.

आपका विश्वासपात्र

ऋणी और सह ऋणी का नाम		हस्ताक्षर
नाम: श्रीमान निलया सिंह	 (हस्ताक्षर)
नाम: श्रीमान निलया सिंह	 (हस्ताक्षर)

ऋणी

सह-ऋणी

FICCL के लिए
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

यदि ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर अनपढ़ है या स्थानीय भाषा में दस्तावेजों ऋण कार्यान्वित करने या अंधा होने की स्थिति में घोषणा

तिथि _____

फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

8141

8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil

श्रीमान,

फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") द्वारा निम्न के संबंध मेंरुपए का ऋण श्रीमान निलया सिंह और (ii)

श्रीमती नीलिमा हैं सिंह को अनुमोदित किया गया है।

मैं/हम अनुमोदित पत्र दिनांकित.....और ऋण करार दिनांकित को संदर्भित करते हैं जिसमें मुझे/हमें FICCL द्वारा ऋण समझौते की नियमों और शर्तों के अनुसार 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) तक की M415 ऋण/सुविधा की मंजूरी दी गई है।

मैं/हम घोषणा और पुष्टि करते हैं कि जैसे कि मैं/हम अंग्रेजी, उक्त अनुमोदित पत्र दिनांकित 50,000/- रुपए और ऋण करार के सभी नियम और शर्तों दिनांकित, वचनपत्र, गारंटी के पत्र, सुरक्षा दस्तावेजों, घोषणाओं और उपक्रमों में और FICCL द्वारा अपेक्षित अन्य सभी ऋण दस्तावेजों के लिए **अनपढ़/अशिक्षित हैं, और इस पत्र की घोषणाओं और पुष्टियों को मुझे/हमें *** श्री _____ द्वारा समझाया गया है और मैंने/हमने उक्त दस्तावेजों को उल्लेखित नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझ कर उन्हें निष्पादित किया है।

मैं/हम इसकी भी घोषणा और पुष्टि करते हैं कि 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) के ऋण के तहत सभी देनदारियों के भुगतान होने तक FICCL द्वारा ऋण सुविधा, प्रतिभूति दस्तावेजों और अन्य सभी दस्तावेजों के नियम और शर्त हम पर बाध्यकारी होंगे।

***अनुपयोगी शब्दों को हटाएं*

****FICCL के कर्मचारी*

ऋणी/सह-ऋणी/ Guarantor का नाम और हस्ताक्षर या दाएं/बाएं अंगूठे का निशान

नाम और हस्ताक्षर

(फुलरटन कर्मचारी/चैनल साथी जिन्होंने ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर को सभी ऋण दस्तावेजों की शर्तों के बारे में बताया है)